

अध्याय-II: राज्य माल एवं सेवा कर

2. 'वर्ष 2017–18 के लिए माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' पर अनुपालन लेखापरीक्षा

2.1 प्रस्तावना

माल एवं सेवा कर (मा०से०क०) के प्रारम्भ ने केन्द्र एवं राज्यों द्वारा लगाए जाने एवं संग्रहीत किए जाने वाले विभिन्न करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। मा०से०क०, जो 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ, प्रत्येक मूल्य संवर्धन पर माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर आरोपित किया जाने वाला एक गन्तव्य—आधारित उपभोग कर है। केन्द्र एवं राज्य एक साथ समान कर के आधार पर मा०से०क० आरोपित करते हैं। केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (के०मा०से०क०) और राज्य माल एवं सेवा कर (रा०मा०से०क०)/संघ राज्य क्षेत्र मा०से०क० (सं०रा०क्षे०मा०से०क०) राज्य के अन्दर आपूर्तियों पर आरोपित किया जाता है, एवं एकीकृत मा०से०क० (ए०मा०से०क०) अन्तर—राज्यीय आपूर्तियों पर आरोपित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (उ०प्र०मा०से०क०) अधिनियम की धारा 59 मा०से०क० को एक स्व—मूल्यांकन—आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके अन्तर्गत कर देनदारी की गणना, गणना की गई कर देनदारी का निर्वहन एवं विवरणी दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर निहित है। मा०से०क० विवरणी सामान्य मा०से०क० पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दाखिल किया जाना चाहिए, असफल रहने पर शास्ति देय होगा। भले ही किसी विशेष कर अवधि के दौरान व्यवसाय पर कोई कर देनदारी न हो, उसे अनिवार्य रूप से शून्य विवरणी दाखिल करना होगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 61 के साथ पठित उ०प्र०मा०से०क० नियमावली के नियम 99 निर्धारित करती है कि उचित अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी और सम्बन्धित विवरणों की जाँच कर सकता है, विसंगतियों के बारे में करदाताओं को सूचित कर सकता है और स्पष्टीकरण माँग सकता है।

इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिये परिकल्पित नियन्त्रण तन्त्र एवं वाणिज्य कर विभाग (विभाग) उत्तर प्रदेश के निरीक्षण तन्त्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह लेखापरीक्षा किया गया था।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा मा०से०क० व्यवस्था के अन्तर्गत कर अनुपालन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की ओर उन्मुख था। 'मा०से०क० भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' की लेखापरीक्षा आश्वासन प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ किया गया था :

- (i) क्या नियम और प्रक्रियाएं कर अनुपालन पर प्रभावी जाँच सुनिश्चित करने के लिए संरचित की गई थीं और करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था; और

- (ii) क्या खण्डों की जाँच प्रक्रियाएं, आन्तरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

2.3 लेखापरीक्षा पद्धति और क्षेत्र

यह लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर सम्पादित किया गया था, जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि से सम्बन्धित जोखिम क्षेत्रों और रेड फ्लैग पर प्रकाश डाला गया था। डेटा विश्लेषण के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0), देनदारी का निर्वहन, पंजीकरण एवं विवरणी दाखिल करने के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत 15 विचलनों के एक समूह की पहचान की गई थी। इस तरह के विचलनों का अनुसरण एक सीमित लेखापरीक्षा¹ के माध्यम से किया गया, जिसके अन्तर्गत इन विचलनों को सम्बन्धित राज्य के विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं को सूचित किया गया और पहचाने गए विचलनों पर क्षेत्राधिकार संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई को बिना क्षेत्रीय दौरों को शामिल किए सुनिश्चित किया गया। सीमित लेखापरीक्षा को एक विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ण किया गया था जिसमें क्षेत्र संरचनाओं के क्षेत्राधिकार में उपलब्ध अभिलेख के सत्यापन के लिए क्षेत्रीय दौरे शामिल थे। करदाताओं से सम्बन्धित डेटा/दस्तावेजों (जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, विवरणियों और अन्य विभागीय कार्यों) की जाँच करने के लिए जितना सम्भव हो सका राज्य कर विभाग के अनुप्रयोग के माध्यम से विवरणियों और सम्बन्धित संलग्नक और सूचनाओं का आकलन किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा में सम्बन्धित क्षेत्रीय संरचनाओं के माध्यम से करदाताओं से प्रासंगिक विस्तृत अभिलेख जैसे कि बीजक का आकलन भी शामिल था। इसके अतिरिक्त, चयनित खण्डों में विभागीय गठन के अनुपालन कार्यों जैसे कि विवरणी की जाँच की भी समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा विवरणियों की जाँच और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा में जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि को आच्छादित किया गया, जबकि चयनित खण्डों के कार्यों की लेखापरीक्षा में जुलाई 2017 से मार्च 2021 तक की अवधि को आच्छादित किया गया। लेखापरीक्षा में केवल राज्य द्वारा प्रशासित करदाताओं को आच्छादित किया। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक सम्पादित की गई थी।

इस लेखापरीक्षा की परिचयात्मक गोष्ठी 26 अगस्त 2022 को अपर आयुक्त, राज्य कर के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। समापन गोष्ठी 16 जून 2023 को अपर आयुक्त, ग्रेड-I, राज्य कर के साथ आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई थी। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग द्वारा व्यक्त किए गए विचार और लिखित उत्तरों को मसौदा प्रतिवेदन के प्रासंगिक प्रस्तर में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

¹ सीमित लेखापरीक्षा में करदाताओं के विस्तृत अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण से सम्बन्धित खाता बही, चालान, अनुबन्ध आदि की माँग करना शामिल नहीं था।

2.4 लेखापरीक्षा नमूना

नियोजन के लिए, साथ ही वास्तविक लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने के लिए डेटा—संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस लेखापरीक्षा के नमूने में सीमित लेखापरीक्षा के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनों का एक समूह शामिल था, जिसमें क्षेत्रीय दौरे शामिल नहीं थे; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें क्षेत्रीय दौरे और विभागीय परिसर में करदाताओं के अभिलेखों की जाँच तथा खण्डों के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए खण्डों का एक नमूना शामिल था।

इस लेखापरीक्षा के तीन अलग—अलग भाग निम्नानुसार थे :

(i) भाग I—खण्डों की लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित एक से अधिक प्रकरणों के नमूने पर अधिकार क्षेत्र वाले नौ खण्डों तथा एक चयनित नमूना प्रकरण वाले एक खण्ड को उनके निरीक्षण कार्यों के मूल्यांकन के लिए खण्डों के नमूने के रूप में माना गया था।

(ii) भाग II—सीमित लेखापरीक्षा

विभाग की जाँच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों से उच्च—मूल्य या उच्च—जोखिम विचलन और विवरणियों के मध्य विसंगतियों की पहचान करके सीमित लेखापरीक्षा के लिए नमूना चुना गया था। तदनुसार, इस लेखापरीक्षा के अन्तर्गत सीमित लेखापरीक्षा के लिए 462 प्रकरणों का चयन किया गया था।

(iii) भाग III—विस्तृत लेखापरीक्षा

करदाताओं द्वारा कर अनुपालन की सीमा के मूल्यांकन के लिए खण्डों के माध्यम से करदाताओं के अभिलेखों का आंकलन कर सम्पादित किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का नमूना, अतिरिक्त आई0टी0सी0, करदेयता भिन्नता, कुल टर्नओवर के अनुपातहीन छूट वाले टर्नओवर और अनियमित आई0टी0सी0 उत्क्रमण जैसे जोखिम मापदण्डों के आधार पर चुना गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 80 करदाताओं में बड़े², मध्यम³ और छोटे⁴ स्तर के करदाताओं के साथ—साथ यादृच्छिक रूप से चुने गए करदाता भी शामिल थे।

इस लेखापरीक्षा के लिए चयनित सीमित लेखापरीक्षा, विस्तृत लेखापरीक्षा और खण्डों के लेखापरीक्षा के लिए नमूने का विवरण परिशिष्ट—I में दिया गया है।

2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्रोत में उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, ए0मा0से0क0 अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में शामिल प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान तालिका 2.1 में दिए गए हैं।

² पहली श्रेणी में बड़े करदाता शामिल हैं—टर्नओवर के आधार पर शीर्ष 2 प्रतिशत करदाता।

³ दूसरी श्रेणी में मध्यम करदाता शामिल हैं—टर्नओवर के आधार पर अगले 8 प्रतिशत करदाता।

⁴ तीसरी श्रेणी में छोटे करदाता शामिल हैं—शेष 90 प्रतिशत करदाता टर्नओवर के आधार पर।

तालिका 2.1 : मानदण्ड के स्रोत

क्र०सं०	विषय	अधिनियम एवं नियम
1.	आरोपण एवं संग्रहण	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 9
2.	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर0सी0एम0)	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 9(3) एवं ए0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 5(3)
3.	आई0टी0सी0 का लाभ उठाना एवं उसका उपयोग करना	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम के अध्याय V के अन्तर्गत धारा 16 से 21; उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के अध्याय V के अन्तर्गत नियम 36 से 45 तक
4.	पंजीकरण	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 22 से 25 तक; उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के नियम 8 से 26 तक
5.	आपूर्तियाँ	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 7 और 8 अधिनियम की अनुसूची I, II एवं III
6.	आपूर्ति का स्थान	ए0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 10 से 13
7.	आपूर्ति का समय	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 12 से 14
8.	आपूर्तियों का मूल्यांकन	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 15; उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के नियम 27 से 34
9.	कर का भुगतान	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम के अध्याय X के अन्तर्गत धारा 49 से 53 तक; उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के अध्याय IX के अन्तर्गत नियम 85 से 88 ए
10.	मा0से0क0 विवरणियों का दाखिल करना	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम के अध्याय IX के अन्तर्गत धारा 37 से 47, उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के अध्याय VIII भाग बी के तहत नियम 59 से 68 और 80 से 81 रिटर्न का प्रारूप निर्धारित करता है।
11.	शून्य-दर आपूर्ति	ए0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 8
12.	मूल्यांकन और लेखापरीक्षा कार्य	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम के अध्याय XII और XIII के अन्तर्गत धारा 61, 62, 65 एवं 66; उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के अध्याय XI के अन्तर्गत नियम 99 से 102 तक

इसके अतिरिक्त, विवरणियाँ दाखिल करने से सम्बन्धित सी0बी0आई0सी0/राज्य कर विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचनाएं एवं परिपत्र, विभिन्न विवरणियों को दाखिल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करना, विवरणी दाखिल करने की नियत तिथियों को बढ़ाना, माल और सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आई0टी0सी0 का लाभ उठाना एवं उपयोग, विवरणियों की जाँच और कर अनुपालन की निगरानी एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जिसमें विवरणियाँ दाखिल करने, विवरणियों की जाँच, पंजीकरण निरस्त करने से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश शामिल हैं तथा विश्लेषण और जोखिम प्रबन्धन महानिदेशालय (बी0जो0प्र0म0नि0)/बिजनेस इंटेलिजेंस एण्ड फ्राड एनालिटिक्स (बी0ई0फ्रा0ए0) प्रतिवेदन के सत्यापन आदि भी लेखापरीक्षा मानदण्ड का हिस्सा बने।

2.6 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा परिणामों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- अ. विवरणियों के दाखिल करने पर निगरानी
- ब. कर भुगतान पर निगरानी

2.6.1 विवरणीयों के दाखिल करने पर निगरानी

विवरणी एक निर्धारित अवधि के दौरान करदाता द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधि से सम्बन्धित निर्दिष्ट विवरणों का एक कथन है। प्रत्येक करदाता कर दायित्व एवं निर्धारित समय के अन्दर भुगतान किए गए करों के लिए एक निर्धारित अवधि के दौरान पूर्ण और सही विवरणी प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिल करने की निगरानी का महत्व अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विवरणीयों करदाताओं एवं उनकी सम्बन्धित व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का पहला तरीका है।

2.6.1.1 विवरणी दाखिल करने पर निगरानी तन्त्र की कमी

10 खण्डों के नमूने में से, लेखापरीक्षा चार खण्डों⁵ में विवरणी दाखिल करने पर निगरानी तन्त्र को सत्यापित नहीं कर सका क्योंकि लेखापरीक्षा को न तो अभिलेख और न ही डेटा उपलब्ध कराया गया था। शेष खण्डों में निगरानी तन्त्र में कमी थी क्योंकि खण्ड अधिकारियों ने सामान्य और प्रशमन करदाताओं के द्वारा दाखिल न करने/देर से दाखिल करने वालों से सम्बन्धित एम0आई0एस0 प्रतिवेदनों पर समय पर कार्यवाही नहीं की गयी थी।

छ: खण्डों में, जीएसटीआर-3ए (मा0से0क0 विवरणी दाखिल नहीं करने वाले बकायेदारों के लिए नोटिस) निर्गत करने की प्रक्रिया और उनका एएसएमटी-13 (उन प्रकरणों में सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन आदेश जहाँ करदाताओं ने जीएसटीआर-3ए नोटिस का अनुपालन नहीं किया है) के साथ अनुसरण और डीआरसी-07 (एएसएमटी-13 के अनुर्ती माँग आदेश का सारांश) के साथ इसका पालन भी नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप बकायेदारों से ₹ 9.85 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई। यद्यपि, चार खण्डों⁶ में ₹ 20.44 करोड़ की वसूली की गयी थी।

2.6.1.2 खण्ड लेखापरीक्षा का परिणाम

(i) विलम्ब से विवरणी दाखिल करने वालों एवं दाखिल न करने वालों पर कार्यवाही का अभाव

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 46 सपठित उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 68, प्रपत्र जीएसटीआर-3ए में एक नोटिस निर्गत करने का प्रावधान करती है जिसमें पन्द्रह दिनों के अन्दर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता होती है, यदि करदाता नियत तिथि के अन्दर विवरणी दाखिल करने में विफल रहा था। यदि करदाता ऐसे नोटिस के बाद भी विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देयता का आंकलन करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं और प्रपत्र एएसएमटी-13 में कर निर्धारण आदेश निर्गत करेंगे। वाणिज्य कर विभाग ने कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता

⁵ ज्वा0कमि0कार्पॉस0-II रा0क0 लखनऊ, खण्ड 12 रा0क0, लखनऊ, खण्ड 14 रा0क0 नोएडा तथा खण्ड 20 रा0क0 वाराणसी।

⁶ खण्ड 2 रा0क0 हरदोई, खण्ड 8 एवं 11 रा0क0 गाजियाबाद तथा खण्ड 9 रा0क0 नोएडा।

सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र दिनांक 24 जनवरी 2020 के माध्यम से विवरणी दाखिल न करने वालों पर विस्तृत दिशानिर्देश/एसओपी निर्गत किया गया था।

विवरणी दाखिल करना कर के भुगतान से सम्बन्धित है क्योंकि दोनों कार्यों की नियत तिथि एक ही है, जिसका अर्थ है विवरणी दाखिल न करने वालों के प्रकरण में कर/शास्ति के भुगतान न करने के जोखिम का होना।

सितम्बर 2022 से दिसम्बर 2022 के दौरान 10 खण्डों के खण्ड कार्यप्रणाली लेखापरीक्षा के दौरान अपेक्षित सूचना माँगी गई थी। चार खण्डों⁷ से सूचना अभी भी प्रतीक्षित थी (जनवरी 2024)। यह देखा गया कि छ: खण्डों⁸ द्वारा देर से दाखिल करने वालों/दाखिल न करने वालों के 91,465 प्रकरणों की पहचान की गई। छ: खण्डों में, विवरणी दाखिल न करने के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-3ए में 83,435 नोटिस निर्गत किए गए थे (खण्ड 3 रा0क0 गौतम बुद्ध नगर द्वारा 1,759 अतिरिक्त जीएसटीआर-3ए निर्गत किए गए थे)। यद्यपि, उचित अधिकारियों ने दाखिल न करने वालों के 9,789 प्रकरणों में जीएसटीआर-3ए में नोटिस निर्गत करने तथा मूल्यांकन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी (**परिशिष्ट-II**)।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2022 एवं जनवरी 2023 के मध्य) पाँच खण्डों⁹ के उचित अधिकारियों द्वारा बताया गया (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023) कि दाखिल न करने वालों एवं देर से दाखिल करने वालों पर नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है। लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने कहा (जून 2023) कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। किन्तु निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्यवाही पूर्ण नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

(ii) विवरणी दाखिल न करने वालों पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई किन्तु पूर्ण नहीं की गयी (जीएसटीआर-3ए निर्गत किया गया लेकिन एएसएमटी-13 निर्गत नहीं किया गया)

एएसएमटी 13 के साथ जीएसटीआर-3ए निर्गत करने की उचित प्रक्रिया का सभी प्रकरणों में पालन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने छ: खण्डों¹⁰ में पाया कि 2017-18 से 2020-21 के दौरान जहाँ जीएसटीआर-3ए नोटिस निर्गत किए गए थे, करदाताओं द्वारा निर्धारित समय के अन्दर अपनी विवरणियाँ दाखिल नहीं करने के बावजूद एएसएमटी-13 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश निर्गत नहीं किए गए थे। छ: खण्डों में, 2017-18 से 2020-21 के दौरान प्रपत्र जीएसटीआर-3ए में निर्गत किए गए 83,435 नोटिसों में से केवल 67,292 प्रकरणों में करदाताओं ने निर्गत किए गए नोटिस

⁷ ज्वा0कमि0कार्प०-II रा0क0 लखनऊ, खण्ड 12 रा0क0, लखनऊ, खण्ड 14 रा0क0 नोएडा तथा खण्ड 20 रा0क0 वाराणसी।

⁸ खण्ड 3 रा0क0 जी0बी0 नगर, खण्ड 2 रा0क0 हरदोई, खण्ड 8 एवं 11 रा0क0 गाजियाबाद, ज्वा0कमि0 कार्प०स०-II रा0क0 कानपुर तथा खण्ड 9 रा0क0 नोएडा।

⁹ खण्ड 3 जी0बी0 नगर, खण्ड 2 रा0क0 हरदोई, खण्ड 8 एवं 11 रा0क0 गाजियाबाद तथा खण्ड 9 रा0क0 नोएडा।

¹⁰ खण्ड 3 जी0बी0 नगर, खण्ड 8 एवं 11 रा0क0 गाजियाबाद, खण्ड 2 रा0क0 हरदोई, ज्वा0कमि0 कार्प०स०-II रा0क0 कानपुर तथा खण्ड 9 रा0क0 नोएडा।

के अनुपालन में अपनी विवरणियाँ दाखिल की थी। शेष 16,143 प्रकरणों में से 6,292 प्रकरणों में सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। यद्यपि, केवल 4,825 प्रकरणों में एएसएमटी-13 निर्गत किया गया था तथा 1,467 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी। ₹ 9.85 करोड़¹¹ की धनराशि की वसूली लम्बित थी, यद्यपि, चार खण्डों¹² में ₹ 20.44 करोड़ की वसूली की गयी थी (परिशिष्ट-II)। इन प्रकरणों में डीआरसी-07 निर्गत करने के सम्बन्ध में सूचना/विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने कहा (जून 2023) कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परन्तु निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्यवाही पूर्ण नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

नीचे एक उदाहरणात्मक प्रकरण पर प्रकाश डाला गया है:

खण्ड 3 रा0क0 गौतम बुद्ध नगर में 2017-18 से 2020-21 के दौरान, प्रपत्र जीएसटीआर-3 ए में निर्गत किए गए 35,070 नोटिसों में से, 25,802 प्रकरणों में करदाताओं ने निर्गत किए गए नोटिसों के अनुपालन में अपनी विवरणियाँ दाखिल की थीं। शेष 9,268 प्रकरणों में से 3,457 प्रकरणों में एएसएमटी-13 की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं केवल 1,990 प्रकरणों में आदेश निर्गत किए गए तथा करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिल करने के कारण 125 प्रकरणों में एएसएमटी-13 को वापस ले लिया गया। खण्ड ने 5,811 प्रकरणों में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी।

2.6.1.3 विवरणियों की जाँच की धीमी गति

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार, करदाताओं द्वारा दाखिल की गयी विभिन्न विवरणियों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए एक उचित अधिकारी द्वारा जाँच की जानी है एवं विवरणी में किसी प्रकार की विसंगति अथवा असंगतता परिलक्षित होने पर उचित कार्यवाही की जानी है। इस प्रयोजन के लिए नामित उचित अधिकारी खण्ड अधिकारी है। अग्रेतर, उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 99 में अधिदेशित है कि विसंगतियां, यदि कोई संज्ञान में आये, तो करदाता को उसका स्पष्टीकरण माँगने के लिए सूचित किया जाएगा।

वाणिज्य कर विभाग ने एकरूपता सुनिश्चित करने और अधिनियम की धारा 61 के अनुसार जाँच की कार्यवाही की प्रक्रिया को मानकीकृत करने की दृष्टि से विवरणियों की जाँच पर परिपत्र दिनांक 29 मार्च 2022 के माध्यम से विस्तृत दिशानिर्देश/एसओपी निर्गत किया गया था।

पाँच खण्डों¹³ द्वारा उपलब्ध कराई गई विस्तृत सूचना से पता चला कि 2017-18 से 2020-21 के दौरान 9,932 करदाताओं से सम्बन्धित 25,797 प्रकरणों की जाँच की गयी थीं। 2,358 प्रकरणों में विसंगतियाँ पायी गयी थीं और ए0एस0एम0टी0 10 निर्गत किया गया, जिनमें से 394 प्रकरणों में करदाताओं द्वारा विसंगतियों को स्वीकार किया गया

¹¹ खण्ड 3 रा0क0 गौतम बुद्ध नगर एवं ज्वा0कमि0 कार्पो0स0-II रा0क0 कानपुर।

¹² खण्ड 2 रा0क0 हरदोई, खण्ड 8 एवं 11 रा0क0 गाजियाबाद तथा खण्ड 9 रा0क0 नोएडा।

¹³ खण्ड 3 जी0बी0 नगर, खण्ड 8 एवं 11 रा0क0 गाजियाबाद, ज्वा0कमि0कार्पो0स0-II रा0क0 कानपुर तथा खण्ड 9 रा0क0 नोएडा।

और ₹ 9.49 करोड़ की वसूली की गयी। 552 प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस (एस0सी0एन0) निर्गत किया गया एवं 312 प्रकरणों में कार्यवाही पूर्ण की गयी तथा ₹ 33.67 करोड़ की वसूली की गयी, जबकि ₹ 123.57 करोड़¹⁴ की धनराशि वाले 240 प्रकरण, कार्यवाही पूर्ण होने के लिए लम्बित थे। अग्रेतर, यह देखा गया कि केवल तीन प्रकरणों को आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए चिन्हित किया गया था। विवरणियों की जाँच के सम्बन्ध में पाँच खण्डों¹⁵ द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी (परिशिष्ट-III)।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया (जून 2023) कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। किन्तु, निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्यवाही पूर्ण नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

लेखापरीक्षा का मानना है कि विवरणियों की जाँच की धीमी गति के कारण, 2017–18 की अवधि से सम्बन्धित विवरणियों पर उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 73 और 74 के अन्तर्गत आदेश निर्गत करने की समय सीमा कम होती जा रही थी क्योंकि इसे दिसम्बर 2023 तक किया जाना था।

संस्तुति 1: विभाग विवरणियों की जाँच की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण कर सकता है।

2.6.1.4 कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा में देरी

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार, आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी, सामान्य या विशिष्ट आदेश के माध्यम से, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का ऐसी अवधि के लिए, ऐसी आवृत्ति पर और ऐसे तरीके से जैसा निर्धारित किया जाए, लेखापरीक्षा कर सकता है। उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13) “लेखापरीक्षा” को इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बनाए गए या प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की जाँच, घोषित टर्नओवर, भुगतान किए गए करों, दावा किए गए प्रतिदाय और प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की शुद्धता को सत्यापित करने और इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का आंकलन करने के रूप में परिभाषित करती है।

वाणिज्य कर विभाग ने 15 जनवरी 2021 को कर लेखापरीक्षा मैनुअल में लेखापरीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया जारी किया, जिसमें जोखिम मापदण्डों के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए करदाताओं के चयन के लिए नए मानदण्डों को शामिल किया गया। इसमें परिकल्पना की गई है कि लेखापरीक्षा किए जाने वाले करदाताओं का चयन मुख्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। जोनल स्तर पर दलों को जोखिम मापदण्डों

¹⁴ चार खण्डों के लिए— खण्ड 3 जी0बी0 नगर, खण्ड 8 एवं 11 राओक0 गाजियाबाद तथा ज्या0कमि0 कार्पोस0-II राओक0 कानपुर। खण्ड 9 राओक0 नोएडा द्वारा निर्गत किए गए एस0सी0एन0 में शामिल धनराशि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

¹⁵ खण्ड 2 राओक0 हरदोई, ज्या0कमि0 कार्पोस0-II राओक0 लखनऊ, खण्ड 12 राओक0 लखनऊ, खण्ड 14 राओक0 नोएडा एवं खण्ड 20 राओक0 वाराणसी।

के आधार पर आवंटित बड़े जटिल प्रकरणों की जाँच करनी थी। शेष प्रकरणों को खण्ड स्तर पर निपटाया जाना था।

मार्गदर्शक 0 के लिए विभाग द्वारा नवम्बर 2022 तक किए गए कर लेखापरीक्षा का विवरण तालिका 2.2 में दिया गया है।

तालिका 2.2 : कृत कर लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष	वर्ष के लिए आयोजित लेखापरीक्षा	कुल करयोग्य व्यक्तियों की संख्या	लेखापरीक्षा के लिए चयनित करयोग्य व्यक्तियों की संख्या (प्रतिशत में)	पूर्ण की गई लेखापरीक्षा की वास्तविक संख्या (नवम्बर 2022 तक)	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें कमियाँ पायी गयीं	कमियों में शामिल कुल धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल वसूली (₹ करोड़ में)
2017-18	1,189	5,42,003	0.22	1,189	959	1,021.26	विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया

(स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।)

उपरोक्त तथ्यों से इंगित है कि लेखापरीक्षा मैनुअल जारी करने में विलम्ब के कारण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की लेखापरीक्षा 2021–22 से 2022–23 की अवधि के दौरान किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 की लेखापरीक्षा अभी प्रारम्भ की जानी है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को सम्पूर्ण वसूली की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

नमूना जाँच के दौरान (नवम्बर 2022 और दिसम्बर 2022 के मध्य), विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 80 नमूना प्रकरणों में से, सात खण्डों¹⁶ के अन्तर्गत आने वाले सात प्रकरणों से सम्बन्धित कर लेखापरीक्षा विभाग द्वारा किया गया और पूर्ण किया गया, खण्ड–6 नोएडा के अन्तर्गत मैसर्स जे०के०ए०० इंफ्रा जीएसटीआईएन–०९XXXXXX1ZC के प्रकरण में क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, बैलेंस शीट और लाभ एवं हानि खाता जो लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया, के आधार पर यह देखा गया कि देय कर के विरुद्ध ₹ 68.32 लाख की आई०टी०सी० के अनियमित सेट–आफ पर ₹ 2.02 लाख के ब्याज की धनराशि की वसूली विभाग नहीं कर सका।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने कहा (जून 2023) कि 2018–19 से सम्बन्धित करदाताओं की कर लेखापरीक्षा प्रक्रिया में है तथा 2019–20 एवं 2020–21 का निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।

संस्तुति 2 : चूँकि मार्गदर्शक स्व–मूल्यांकन कर व्यवस्था है और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा मुख्य उपकरणों में से एक है, विभाग

¹⁶ ज्ञानकमियोंकार्पोरेशन राज्य आगरा, खण्ड 4 एवं 9, राज्य गाजियाबाद, ज्ञानकमियोंकार्पोरेशन राज्य गोरखपुर, खण्ड 26 राज्य कानपुर, खण्ड 6 और 13 राज्य नोएडा

को शेष लेखापरीक्षा करने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि बकायादारों के विरुद्ध समय पर कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए वसूली की जा सके। विभाग, लेखापरीक्षा में इंगित किये गए बकायों की समय पर वसूली भी सुनिश्चित कर सकता है।

2.6.1.5 बिजनेस इंटेलिजेंस एण्ड फ्राड एनालिटिक्स (बीफा) प्रतिवेदन पर कार्यवाही का अभाव

लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने तीन खण्डों¹⁷ से सम्बन्धित वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक के जोखिम मापदण्डों एवं विवरणियों की जाँच की प्रक्रिया के आधार पर बीफा द्वारा पहचाने गए उच्च जोखिम वाले करदाताओं के बारे में जानकारी के उपयोग की जाँच की। सात खण्डों¹⁸ ने बीफा प्रकरणों की जाँच से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं करायी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बीफा श्रेणी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक से सम्बन्धित 1,226 उच्च जोखिम वाले करदाताओं की जाँच तीन खण्डों¹⁹ के उचित अधिकारियों द्वारा की गई थी। इनमें से 27 प्रकरणों में जाँच पूर्ण हो चुकी थी और ₹ 10.10 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी तथा 544 प्रकरणों में जाँच प्रक्रियाधीन थी। 453 प्रकरणों में जाँच प्रक्रिया अभी प्रारम्भ की जानी थी और 202 प्रकरणों में किसी अग्रेतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी (परिशिष्ट-IV)।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया (जून 2023) कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2.6.1.6 पंजीयन का निरस्तीकरण

खण्डों (विभागीय क्षेत्र संरचनाओं) की भूमिका विवरणी दाखिल करने, कर देनदारी का निर्वहन करने और अन्य अनुपालन दायित्वों के सम्बन्ध में करयोग्य व्यक्तियों के अनुपालन पर निगरानी प्रदान करना है। खण्डों के पास इस सम्बन्ध में किए जाने वाले कार्यों का एक व्यापक समूह है, जैसे कि विलम्ब से दाखिल करने वालों और दाखिल न करने वालों पर कार्यवाही प्रारम्भ करना, विवरणियों की जाँच एवं कर निर्धारण करना तथा पंजीयन का निरस्तीकरण।

उ0प्र0मा0स0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 29, कराधेय व्यक्ति द्वारा दाखिल आवेदन पर पंजीकरण रद्द करने और कराधेय व्यक्ति द्वारा अधिनियमों या नियमों के उल्लंघन के आधार पर, प्रशमन कराधेय व्यक्ति द्वारा लगातार तीन कर अवधियों के लिए विवरणी दाखिल नहीं करने, सामान्य कराधेय व्यक्ति द्वारा लगातार छः महीने की अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं करने, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकरण की तारीख से छः महीने के अन्दर व्यवसाय शुरू नहीं करने और धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण या तथ्यों

¹⁷ खण्ड 9 रा0क0 नोएडा, खण्ड 8 रा0क0 गाजियाबाद एवं ज्वा0कमि0 कार्पो0स0-II रा0क0 कानपुर।

¹⁸ ज्वा0कमि0 कार्पो0स0-II रा0क0 लखनऊ, खण्ड 12 रा0क0 लखनऊ, खण्ड 14 रा0क0 नोएडा, खण्ड 20 रा0क0 वाराणसी, खण्ड 11 रा0क0 गाजियाबाद, खण्ड 2 रा0क0 हरदोई एवं खण्ड 3 रा0क0 जी0बी0 नगर।

¹⁹ खण्ड 9 रा0क0 नोएडा, खण्ड 8 रा0क0 गाजियाबाद एवं ज्वा0कमि0 कार्पो0स0-II रा0क0 कानपुर।

को छिपाकर पंजीकरण प्राप्त करने पर कर अधिकारी द्वारा कराधेय व्यक्ति के पंजीकरण को स्वतः रद्द करने की शर्त निर्धारित करती है।

उत्तराधिकारी को उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो किसी भी विवरणी को दाखिल न करने के लिए अपनायी जाती है। अन्तिम विवरणी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कराधेय व्यक्ति बकाया देनदारी का भुगतान कर देता है। जीएसटीआर-10 दाखिल न करने की स्थिति में, कर अधिकारी को उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो किसी भी विवरणी को दाखिल न करने के लिए अपनायी जाती है।

(i) सभी प्रकरणों में निरस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी/प्रारम्भ नहीं की गयी

चयनित 10 खण्डों में से पाँच खण्डों²⁰ द्वारा पंजीकरण रद्द करने से सम्बन्धित कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया था। लेखापरीक्षा ने पाँच खण्डों²¹में पाया कि कराधेय व्यक्तियों से पंजीकरण निरस्त करने के लिए 4,038 आवेदन प्राप्त हुए थे और 5,064 प्रकरणों में निरस्तीकरण के लिए स्वतः कार्यवाही शुरू की गई थी, कुल मिलाकर 9,102 प्रकरण थे। 8,903 प्रकरणों में एस0सी0एन0 आर0ई0जी0 17 में निर्गत किए गए थे, जिनमें से 5,129 पंजीकरण निरस्त कर दिए गए थे और 877 प्रकरणों में कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी तथा 2,897 प्रकरण पूर्ण होने के लिए लम्बित थे। 199 प्रकरणों में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी। यद्यपि, एक खण्ड द्वारा जीएसटीआर-10 दाखिल करने से सम्बन्धित डेटा प्रदान किया गया था, परन्तु एएसएमटी-13 में निर्गत कर निर्धारण आदेश से सम्बन्धित डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया था। चार खण्डों में जीएसटीआर-10 दाखिल करने, कार्यवाही समाप्त करने, एएसएमटी-13 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश निर्गत किए जाने से सम्बन्धित कोई डेटा प्रदान नहीं किया गया था। इन विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा, कार्यवाही के समय पर पूर्ण होने, वसूली के लिए लम्बित राशि, वसूल की गई राशि, कर निर्धारण के लिए लम्बित प्रकरणों आदि का पता नहीं लग सका (परिशिष्ट-V)।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया (जन 2023) कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कुल मिलाकर, निगरानी कार्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी खण्डों द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। निगरानी कार्यों के अनुपालन का सरकार के राजस्व पर भी प्रभाव पड़ता है। कराधेय व्यक्ति द्वारा अनुपालन न करने से बचने और सरकार को उचित राजस्व

²⁰ ज्वारकमि० कार्प०स०-II राठक० कानपुर, ज्वारकमि० कार्प०स०-II राठक० लखनऊ, खण्ड 12 राठक० लखनऊ, खण्ड 14 राठक० नोएडा एवं खण्ड 20 राठक० वाराणसी।

²¹ ਖੱਪਡ 3 ਰਾਹਕੇ ਜੀਓਬੀਓ ਨਗਰ, ਖੱਪਡ 8 ਏਵੇ 11 ਰਾਹਕੇ ਗਾਜਿਯਾਬਾਦ, ਖੱਪਡ 2 ਰਾਹਕੇ ਹਰਦੌਰੀ ਤਥਾ ਖੱਪਡ 9 ਰਾਹਕੇ ਨੋਏਡਾ।

सुनिश्चित करने के लिए खण्डों द्वारा इन सूचनाओं को आवश्यक रूप से बनाए रखे जाने और उन पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

संस्तुति 3: विभाग अपने क्षेत्रीय गठन को जानकारी बनाए रखने और निगरानी कार्यों पर समय पर कार्यवाही करने तथा इसे लेखापरीक्षा के साथ साझा करने का निर्देश दे सकता है।

2.6.2 कर भुगतान पर निगरानी—सीमित लेखापरीक्षा

2.6.2.1 मा०से०क० विवरणियों में विसंगतियां

लेखापरीक्षा ने जी०एस०टी०एन० द्वारा उपलब्ध कराए गए जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अधिक सम्बन्धित मा०से०क० विवरणियों के डेटा का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए मा०से०क० विवरणियों के मध्य नियम—आधारित विचलन एवं तार्किक विसंगतियों की पहचान, आई०टी०सी० एवं कर भुगतान से सम्बन्धित 15 मापदण्डों के एक समूह पर की गई थी। निर्धारित 13 मा०से०क० विवरणियों²² में से, सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निम्नलिखित मूल विवरणियों पर मा०से०क० विवरणियों/डेटा के मध्य विचलन, विसंगतियों और भिन्नता की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किया गया था :

- जीएसटीआर—1: माल और सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी, इसमें माल एवं सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण शामिल है।
- जीएसटीआर—3बी: अधिनियम की धारा 39(1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा बाहरी आपूर्ति और दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ करदाता द्वारा कर के भुगतान का दाखिल किए जाने वाला मासिक सारांश विवरणी है। यह वह विवरणी है जो इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट एवं डेबिट तथा इलेक्ट्रानिक कैश लेजर में डेबिट को पापुलेट करता है।
- जीएसटीआर—6: इनपुट सेवा वितरकों के लिए मासिक विवरणी जो उनके वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।
- जीएसटीआर—8: ई—कार्मस आपरेटरों द्वारा दाखिल किया जाने वाला मासिक विवरणी, जिनसे अक्टूबर 2018 में लागू किए गए मा०से०क० के अन्तर्गत टी०सी०एस० (स्रोत पर कर संग्रह) की कटौती की जानी अपेक्षित है।
- जीएसटीआर—9: इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आई०एस०डी०), स्रोत पर कर कटौतीकर्ता/स्रोत पर कर संग्रहकर्ता, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी करदाता के अलावा सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाने वाला वार्षिक विवरणी। इस दस्तावेज में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्ष (सी०जी०एस०टी०,

²² जीएसटीआर—1, जीएसटीआर—3बी, जीएसटीआर—4 (प्रशमन योजना के अन्तर्गत करदाता), जीएसटीआर—5 (अनिवासी कराधेय व्यक्ति), जीएसटीआर—5ए (अनिवासी ओआईडीएआर सेवा प्रदाता), जीएसटीआर—6 (इनपुट सेवा वितरक), जीएसटीआर—7 (टीडीएस की कटौती करने वाले करदाता), जीएसटीआर—8 (ई—कॉर्मस ऑपरेटर), जीएसटीआर—9 (वार्षिक विवरणी), जीएसटीआर—10 (अन्तिम विवरणी), जीएसटीआर—11 (यूआईएन रखने वाला और प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति), सीएमपी—08, और आईटीसी—04 (एक प्रिंसिपल/जाब—वर्कर द्वारा जाब—वर्कर को भेजे गए/प्राप्त किए गए माल के विवरण के बारे में दाखिल किये जाने वाला विवरण)।

एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0) के अन्तर्गत की गई एवं प्राप्त सभी आपूर्तियों के साथ—साथ टर्नओवर तथा लेखापरीक्षा का विवरण शामिल है।

- जीएसटीआर—9सी: किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ 2 करोड़ (2017–18) से अधिक टर्नओवर वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा प्रपत्र। यह मूल रूप से जीएसटीआर—9 में दाखिल वार्षिक विवरणी और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के मध्य एक समाधान विवरण है।
- जीएसटीआर—2ए: प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक सिस्टम—जनरेटेड विवरण। इसमें आपूर्तिकर्ताओं के प्रपत्र जीएसटीआर—1/5 में घोषित सभी बी2बी लेनदेन का विवरण, जीएसटीआर—6 से आई0एस0टी0 विवरण, प्रतिपक्ष द्वारा क्रमशः जीएसटीआर—7 और जीएसटीआर—8 से विवरण तथा बिल आफ इंट्री पर विदेशों से माल का आयात का विवरण शामिल है, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के आइसगेट पोर्टल से प्राप्त हुआ।
- पहचाने गए 15 मापदण्डों पर राज्य क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित डेटा विश्लेषण तथा देखे गए विचलन/विसंगतियों की सीमा (सीमित लेखापरीक्षा के लिए नमूना) को तालिका 2.3 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.3 : डेटा विश्लेषण का सारांश

क्र0 सं0	मापदण्ड	प्रयुक्त एल्गोरिथम	विचलनों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	जीएसटीआर—2ए एवं जीएसटीआर—3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	जीएसटीआर—2ए के अनुसार सभी संशोधनों के साथ उपलब्ध आई0टी0सी0 की तुलना जीएसटीआर—3बी के तालिका—4ए(5) में प्राप्त आई0टी0सी0 (घरेलू आपूर्ति पर अर्जित) के साथ तालिका—4बी(2) में उत्क्रमण को ध्यान में रखते हुए परन्तु जीएसटीआर—9 की तालिका—8सी से अगले वर्ष 2018–19 में प्राप्त आई0टी0सी0 को समाहित करते हुए की गई थी।	56	341.74
2.	आर0सी0एम0 के अन्तर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर—3बी / जीएसटीआर—9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	जीएसटीआर—3बी के तालिका—3.1 (डी) में आर0सी0एम0 भुगतान की तुलना जीएसटीआर—9 के तालिका 6सी, 6डी एवं 6एफ में प्राप्त आई0टी0सी0 के साथ की गई थी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर—9 उपलब्ध नहीं था, जाँच को जीएसटीआर—3बी के तालिका—3.1(डी) में कर के निर्वहन की तुलना में तालिका—4ए(2) और 4ए(3) में प्राप्त आई0टी0सी0 तक सीमित किया गया था।	55	40.44
3.	आर0सी0एम0 के अन्तर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर—3बी / जीएसटीआर—9 में प्राप्त आई0टी0सी0	जीएसटीआर—9 के तालिका 4जी (देय कर) में आर0सी0एम0 भुगतान की तुलना जीएसटीआर—9 के तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आई0टी0सी0 के साथ की गयी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर—9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर—3बी के तालिका—3.1(डी)	17	11.92

क्र० सं०	मापदण्ड	प्रयुक्त एल्गोरिथम	विचलनों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
	के मध्य भिन्नता	में आई0सी0एम0 भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी के तालिका-4 (ए) (2) और 4ए (3) से की गयी थी।		
4.	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	जीएसटीआर-9 के तालिका-6जी अथवा जीएसटीआर-3बी के तालिका 4(ए)(4) में हस्तांतरित आई0एस0डी0 की तुलना प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन के जीएसटीआर-6 की तालिका-5ए, तालिका-8ए और तालिका-9ए के योग के साथ की गयी थी।	28	17.75
5.	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण उत्क्रमण	प्राप्तकर्ताओं के जीएसटीआर-9 की तालिका-7बी / 7एच की तुलना उनके जीएसटीआर-6 विवरणियों की तालिका-8ए (केवल ऋणात्मक ऑकड़े) और तालिका 9ए (केवल ऋणात्मक ऑकड़े) के योग से की गयी।	02	0.02
6.	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर-9सी की तालिका-14टी)	जीएसटीआर- 9सी, तालिका-14टी में धनात्मक ऑकड़ा	28	1,255.77
7.	वार्षिक विवरणियों एवं लेखा पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ)	जीएसटीआर- 9सी, तालिका-12एफ में धनात्मक ऑकड़ा	27	146.07
8.	जीएसटीआर-9सी के तालिका-5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	जीएसटीआर-9सी, तालिका-5आर में ऋणात्मक ऑकड़ा	55	5,889.02
9.	जीएसटीआर-9सी के तालिका-7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	जीएसटीआर-9सी, तालिका-7जी में ऋणात्मक ऑकड़ा	18	737.83
10.	लेखा पुस्तकों और विवरणियों जीएसटीआर-9सी के तालिका-9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	जीएसटीआर-9सी, तालिका-9आर में ऋणात्मक ऑकड़ा।	55	85.87
11.	अनिर्वाहित कर देनदारियाँ	जीएसटीआर-1 (तालिका-4 से 11) एवं जीएसटीआर-9 (तालिका-4एन, 10 एवं 11) में से बड़े कर देनदारी की तुलना	28	374.36

क्र० सं०	मापदण्ड	प्रयुक्त एलगोरिथम	विचलनों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
		जीएसटीआर-3बी के तालिका- 3.1(ए) एवं 3.1(बी) में भुगतान किए गए कर विवरण से की गयी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान की तुलना जीएसटीआर-1 में देनदारी से की गयी। जीएसटीआर-1 एवं 9 में घोषित संशोधन एवं अग्रिम समायोजन पर विधिवत विचार किया गया था।		
12.	प्रशमन करदाता द्वारा ई-कॉर्मर्स सुविधा का भी लाभ उठाना जाना	टी०सी०एस० प्रावधान प्रभावी होने पर ई-कॉर्मर्स जीएसटीआर-8 01.10.2018 से लागू हो गया। जीएसटीआर-8 में घोषित जीएसटीआईएन जो प्रशमन योजना के अन्तर्गत जीएसटीआर-4 भी दाखिल कर रहे हैं।	37	00
13.	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया किन्तु जीएसटीआर-1 उपलब्ध है	ऐसे करदाता जिन्होंने जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया था लेकिन जीएसटीआर-1 दाखिल किया था या जहाँ जीएसटीआर-2ए उपलब्ध था, यह दर्शाता है कि करदाताओं ने कर का निर्वहन किए बिना व्यवसाय किया था।	28	19.70
14.	कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न किया जाना / कम किया जाना	जीएसटीआर-3बी में घोषित ब्याज के सापेक्ष जीएसटीआर-3बी विलम्ब से दाखिल करने पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर 18 प्रतिशत की दर से गणना किये गये ब्याज से की जाती है।	27	11.49
15.	दाखिल न करने वाले	जिन करदाताओं ने लगातार छ: से अधिक कर अवधियों के लिए विवरणी दाखिल करना बन्द कर दिया था एवं इसके लिए उनके पंजीकरण रद्द किये जा सकते थे, के जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-2ए से सम्बन्धित डेटा समूह का विश्लेषण किया गया था।	01	00
योग				462 8,931.98

विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत न किया जाना

लेखापरीक्षा ने वर्ष जुलाई 2017 से मार्च 2018 के लिए 15 मापदण्डों में से प्रत्येक में शीर्ष विचलन/विसंगतियों में से 462 प्रकरणों का एक नमूना चुना। करदाता के अभिलेख की अग्रेतर जाँच के बिना लेखापरीक्षा पृच्छा सम्बन्धित जोनों को सितम्बर 2022 से दिसम्बर 2022 के मध्य निर्गत किए गए थे। इन प्रकरणों में लेखापरीक्षा जाँच पहचाने गए विचलनों/भिन्नता पर विभाग की कार्यवाही की पुष्टि करने तक ही सीमित थी।

विभाग को सूचित की गई विसंगतियों में से 16 जून 2023 तक नौ विसंगतियों के लिए प्रारम्भिक प्रतिक्रियाएँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, जो ₹ 206.14 करोड़ के सम्भावित जोखिम का प्रतिनिधित्व करती हैं जैसा की तालिका 2.4 में वर्णित है।

तालिका 2.4 : विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत न किया जाना

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ		प्रतिशतता	
	संख्या	भिन्नता की राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
जीएसटीआर-2ए जीएसटीआर-3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	एवं 56	341.74	02	27.73	3.57	8.11
आर0सी0एम0 के अन्तर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर-3बी / जीएसटीआर-9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	55	40.44	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
आर0सी0एम0 के अन्तर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर-3बी / जीएसटीआर-9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	17	11.92	01	0.77	5.88	6.46
आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	28	17.75	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण उत्क्रमण	02	0.02	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर-9 सी की तालिका-14टी)	28	1,255.77	0	0	NA	NA
वार्षिक विवरणियों एवं लेखा पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ)	27	146.07	01	2.44	3.70	1.67
जीएसटीआर-9सी के तालिका-5 आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	55	5,889.02	01	154.79	1.82	2.63
जीएसटीआर-9सी के तालिका-7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	18	737.83	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
लेखा पुस्तकों और विवरणियों जीएसटीआर-9सी के तालिका-9 आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	55	85.87	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
अनिवाहित कर देनदारियाँ	28	374.36	03	20.13	10.71	5.38
प्रशमन करदाता द्वारा ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	37	00	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया	28	19.70	0	0	लागू	लागू

लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ		प्रतिशतता	
	संख्या	भिन्नता की राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
गया किन्तु जीएसटीआर—1 उपलब्ध है					नहीं	नहीं
कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न किया जाना/कम किया जाना	27	11.49	01	0.28	3.70	2.44
दाखिल न करने वाले	01	00	00	00	0	0
योग	462	8,931.98	09	206.14	1.94	2.30

जैसा कि अगले प्रस्तर में बताया गया है, विसंगतियों को अनुपालन विचलन में बदलने की समग्र दर को ध्यान में रखते हुए, विभाग को प्राथमिकता के रूप में इन प्रकरणों के सत्यापन में तेजी लाने की आवश्यकता है। इन प्रकरणों का विवरण तालिका 2.5 में सूचीबद्ध है।

तालिका 2.5 : मौद्रिक मूल्य के सन्दर्भ में प्रकरण जहाँ प्रतिक्रिया अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	जोन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि (₹ करोड़ में)
1.	09XXXXXXXXXX1Z6	मेसर्स एड्झेट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा० लिमिटेड	गाजियाबाद-II	खण्ड-16, गाजियाबाद	154.79
2.	09XXXXXXXXXX1ZV	मेसर्स रिम ड्झिम इस्पात लिमिटेड	कानपुर-II	कार्पोरेट सर्किल, कानपुर-II	24.77
3.	09XXXXXXXXXX1ZK	मेसर्स मारुति इण्टरप्राइजेज	लखनऊ-I	खण्ड-12, लखनऊ	12.83
4.	09XXXXXXXXXX1ZH	मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	झाँसी	खण्ड-4, झाँसी	4.08
5.	09XXXXXXXXXX1ZR	मेसर्स सेयल लिमिटेड	वाराणसी-I	कार्पोरेट सर्किल, वाराणसी-I	3.22
6.	09XXXXXXXXXX1ZG	मेसर्स सिस्टेमा स्मार्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	लखनऊ-II	खण्ड-21, लखनऊ	2.96
7.	09XXXXXXXXXX1ZX	मैसर्स द इण्डिया वूड प्रोडक्ट्स क० लिमिटेड	बरेली	खण्ड-5, बरेली	2.44
8.	09XXXXXXXXXX1ZY	मेसर्स ज्ञान इण्टरप्राइजेज	वाराणसी-II	खण्ड-3, मिर्जापुर	0.77
9.	09XXXXXXXXXX1ZY	मेसर्स प्रवीण अरोमा प्राइवेट लिमिटेड	मुरादाबाद	खण्ड-1, सम्बल	0.28

2.6.2.2 सीमित लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा पृच्छा पर विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर 15 मापदण्डों में से प्रत्येक उस सीमा तक जो अनुपालन विचलन में अनुवादित हुए, को तालिका 2.6 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.6 : सीमित लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुआ	विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार कर लिया गया						
		डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ		पृच्छा से पहले की गई कार्यवाही		अन्य वैध स्पष्टीकरण		
		सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जीएसटीआर-2ए एवं जीएसटीआर-3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	54	314.01	02	8.87	02	13.47	14	75.87
आर0सी0एम0 के अन्तर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर-3बी / जीएसटीआर-9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	55	40.44	14	16.71	02	0.63	11	7.90
आर0सी0एम0 के अन्तर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर-3बी / जीएसटीआर-9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	16	11.15	08	6.36	0	0	03	2.63
आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	28	17.75	03	0.51	0	0	01	0.13
आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण उत्क्रमण	02	0.02	0	0	0	0	0	0
वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर-9सी की तालिका-14टी)	28	1,255.77	0	0	0	0	17	720.27
वार्षिक विवरणियों एवं लेखा पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ)	26	143.63	0	0	0	0	11	71.47
जीएसटीआर-9सी के तालिका-5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	54	5,734.23	02	48.10	01	205.43	21	2,035.01
जीएसटीआर-9सी के तालिका-7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	18	737.83	02	82.04	0	0	08	200.04
लेखा पुस्तकों और विवरणियों जीएसटीआर-9सी के तालिका-9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	55	85.87	0	0	03	2.05	19	25.41
अनिवार्य हित कर देनदारियाँ	25	354.23	05	71.81	02	13.08	07	84.40

लेखापरीक्षा आयाम	प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुआ	विभाग का उत्तर		लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार कर लिया गया				
		डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ		पृच्छा से पहले की गई कार्यवाही		अन्य वैध स्पष्टीकरण		
		सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्रशमन करदाता द्वारा ई-कामर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	37	0	0	0	0	0	16	0
जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया किन्तु जीएसटीआर-1 उपलब्ध है	28	19.70	0	0	01	0.13	03	1.79
कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान कम किया जाना	26	11.21	0	0	02	0.92	03	1.58
दाखिल न करने वाले	01	0	0	0	0	0	01	0
योग	453	8,725.84	36	234.40	13	235.71	135	3,226.50

सीमित लेखापरीक्षा का सारांश

लेखापरीक्षा ने 235 प्रकरणों (कालम संख्या 10, 12, 14, 16, 18) में अधिनियम के प्रावधानों से विचलन देखा जिसमें ₹ 4,454.86 करोड़ (कालम संख्या 11, 13, 15, 17 एवं 19) के आई0टी0सी0/कर/टर्नओवर में भिन्नता शामिल थी जो प्राप्त 453 प्रतिक्रियाओं का 52

²³ उपरोक्त तालिका में 'की गयी वसूली' और 'जारी किये गये एस0सी0एन0' श्रेणी के अन्तर्गत राशि, लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई राशि को संज्ञना में लिए बिना, विभाग द्वारा की गई वसूली और जारी किए गये एस0सी0एन0 की राशि के अनुसार है।

प्रतिशत है। जोखिम मापदण्डों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गयी, जैसे कि वार्षिक विवरणियों और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आई0टी0सी0 की भिन्नता (जीएसटीआर-9सी की सारणी 12एफ), जीएसटीआर-9सी सारणी-5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता, लेखा पुस्तकों एवं विवरणियों के बीच भुगतान किए गए कर में भिन्नता (जीएसटीआर-9सी की सारणी 9आर) एवं ब्याज का कम/भुगतान न करना आदि।

184 प्रकरणों (कालम संख्या 4, 6 एवं 8) में जो 40 प्रतिशत होता है, जहाँ विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य था, में करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियों में 36 (कालम संख्या 4) मामले शामिल थे, विभाग ने 13 (कालम संख्या 6) प्रकरणों में सक्रिय रूप से कार्यवाही की थी एवं 135 प्रकरणों (कालम संख्या 8) में वैध स्पष्टीकरण थे।

शेष 34 (कालम संख्या 22) प्रकरणों में, जो आठ प्रतिशत हैं, यद्यपि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए विचलन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसका तर्क साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था, और इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए उत्तरदायी नहीं था।

तालिका 2.7 : सीमित लेखापरीक्षा के प्रत्येक आयाम के लिए शीर्ष प्रकरण (अनुपालन विचलन के लिए, वसूली, निर्गत एस0सी0एन0, एएसएमटी-10 एवं कराधेय व्यक्ति के साथ पत्राचार के अन्तर्गत के प्रकरणों से सम्बन्धित)

क्र0 स0	आयाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	क्षेत्राधिकार खण्ड	भिन्नता (₹ करोड़ में)	कृत कार्यवाही
1.	जीएसटीआर-2ए एवं जीएसटीआर-3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	09XXXXXXXXXX4ZE	मैसर्स लार्सन एण्ड टूबो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल	खण्ड-3 हापुड	27.11	लेखापरीक्षा पृच्छा के अनुपालन में विभाग द्वारा एएसएमटी-10 में कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया गया है।
2.	आर0सी0एम0 के अन्तर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर-3बी / जीएसटीआर-9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	09XXXXXXXXXX1Z9	मैसर्स पियरसन इण्डिया एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	खण्ड-3 नोएडा	2.93	विभाग ने उत्तर दिया कि डीआरसी-01 में कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया गया है।
3.	आर0सी0एम0 के अन्तर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर-3बी / जीएसटीआर-9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	09XXXXXXXXXX1ZX	मैसर्स दुर्गा मार्बल्स	खण्ड मोदीनगर, गाजियाबाद	0.44	विभाग द्वारा एएसएमटी-10 निर्गत किया गया है।

क्र० स०	आयाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	क्षेत्राधिकार खण्ड	मिन्तता (₹ करोड़ में)	कृत कार्यवाही
4.	आई०एस०डी० क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	09XXXXXXXXXX1ZS	मेसर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड	कार्पोरेट सर्किल, अलीगढ़	8.73	विभाग ने उत्तर दिया कि ₹ 8,72,81,307.00 के आई०एस०डी० पर आई०टी०सी० का दावा ट्रान-1 के माध्यम से किया गया था तथा इसे जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(ए)(4) में घोषित करके उपयोग भी किया गया था। इसे कराधेय व्यक्ति द्वारा डीआरसी-03 दिनांक 09.03.2023 द्वारा उत्क्रमित किया गया है।
5.	आई०एस०डी० क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण उत्क्रमण	09XXXXXXXXXX1ZY	मेसर्स एस०एम०आर० ऑटोमोटिव सिस्टम्स इण्डिया लिमिटेड	खण्ड-14 नोएडा	0.01	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को 17.04. 2023 को एएसएमटी-10 निर्गत किया गया है।
6.	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई०टी०सी० का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर-9सी की तालिका-14टी)	09XXXXXXXXXX1Z5	मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	कार्पोरेट सर्किल-II लखनऊ	178.33	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को एएसएमटी-10 में नोटिस निर्गत किया गया है।
7.	वार्षिक विवरणियों एवं लेखा पुस्तकों में प्राप्त आई०टी०सी० के मध्य मिन्तता (जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ)	09XXXXXXXXXX1ZH	मेसर्स ई०एम०एस० लिमिटेड	खण्ड-4 गाजियाबाद	19.81	कराधेय व्यक्ति को एएसएमटी-10 निर्गत किया गया है।
8.	जीएसटीआर-9सी के तालिका-5आर में घोषित टर्नओवर में मिन्तता	09XXXXXXXXXX3ZM	मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड	खण्ड-13 नोएडा	925.60	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को 16.03. 2023 को एएसएमटी-10 निर्गत किया गया है।
9.	जीएसटीआर-9सी के तालिका-7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मिन्तता	09XXXXXXXXXX5Z0	मेसर्स मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	खण्ड मोदीनगर गाजियाबाद	221.32	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को 13.04. 2023 को

क्र० स०	आयाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	क्षेत्राधिकार खण्ड	भिन्नता (₹ करोड़ में)	कृत कार्यवाही
						एएसएमटी-10 निर्गत किया गया है।
10.	लेखा पुस्तकों और विवरणियों जीएसटीआर-9सी के तालिका-9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	09XXXXXXXXXX1ZE	मेसर्स विकास एण्ड कंपनी	खण्ड-1 चंदौरी	6.82	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को एएसएमटी-10 निर्गत किया गया है।
11.	अनिवार्य कर देनदारियाँ	09XXXXXXXXXX9ZO	मेसर्स एन०टी०पी०सी० लिमिटेड	कार्पोरेट सर्किल -II लखनऊ	8.60	विभाग द्वारा कराधेय व्यक्ति को एएसएमटी-10 निर्गत किया गया है।
12.	प्रशमन करदाता द्वारा ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	09XXXXXXXXXX1ZJ	मेसर्स दस्तार ख्वान रेस्टोरेंट	खण्ड-2 लखनऊ	उपलब्ध नहीं	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को 17.05.2023 को एएसएमटी-10 निर्गत किया गया है।
13.	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया किन्तु जीएसटीआर-1 उपलब्ध है	09XXXXXXXXXX1ZK	मेसर्स मारुति एंटरप्राइजेज	खण्ड-12 लखनऊ	12.83	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को धारा 74 के अन्तर्गत डीआरसी-01 में नोटिस निर्गत किया गया है।
14.	कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान कम किया जाना	09XXXXXXXXXX1ZT	मेसर्स बर्जर पेंट्स इण्डिया लिमिटेड	कार्पोरेट सर्किल, नोएडा	1.84	विभाग ने उत्तर दिया कि नोटिस 27.03.2023 को निर्गत किया गया था। उत्तर में कर योग्य व्यक्ति ने कहा कि दिसम्बर 2017 महीने के लिए विवरणी जीएसटीआर-3बी मार्च 2018 में दाखिल किया गया था और कैश लेजर से ₹ 4.13 करोड़ रुपये डेबिट किए गए थे, लेकिन पोर्टल पर यह अक्टूबर 2018 के महीने में दाखिल दिखाया जा रहा था। सत्यापन प्रक्रिया में है।

उदाहरणात्मक प्रकरणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

(i) आयाम—अधिक आईटी0सी0 का लाभ उठाया जाना

जीएसटीआर—2ए एक खरीद सम्बन्धी गतिशील कर विवरणी है जो माझे0क0 पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जबकि जी0एस0टी0आर0 3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें घोषित आईटी0सी0 और कर के भुगतान के साथ बाहरी आपूर्ति का सारांश करदाता द्वारा स्व—घोषित किया जाता है।

आईटी0सी0 उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017–18 के लिए जी0एस0टी0आर0 3बी और जी0एस0टी0आर0 2ए से प्रासंगिक डेटा निकाला गया था, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए आईटी0सी0 का करदाता द्वारा प्राप्त आईटी0सी0 क्रेडिट के साथ मिलान किया गया था। जी0एस0टी0आर0 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटी0सी0 की उसके सभी संशोधनों के साथ, जी0एस0टी0आर0 3बी के तालिका 4बी (2)²⁴ में उल्कमण को संज्ञान में लेते हुए लेकिन बाद के वर्ष 2018–19 में जी0एस0टी0आर0 9 की तालिका 8सी से प्राप्त आईटी0सी0 को भी इसमें शामिल करते हुए, तालिका 4ए (5)²⁵ में प्राप्त आईटी0सी0 से तुलना करने की पद्धति अपनाई गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्ड—3 हापुड़ के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति मैसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो इंफास्ट्रक्चर वर्टिकल जीएसटीआईएन—09XXXXXXXXXXXX4ZE के प्रकरण में, जीएसटीआर—2ए के अनुसार उपलब्ध आईटी0सी0 ₹ 251.62 करोड़ थी और जीएसटीआर—3बी की तालिका 4ए(5) में प्राप्त आईटी0सी0 ₹ 278.73 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप आईटी0सी0 की प्राप्त राशि में ₹ 27.11 करोड़ की भिन्नता हुई, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी—10 में कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया गया है।

(ii) आयाम—आर0सी0एम0 पर आईटी0सी0 का अधिक लाभ

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अन्तर्गत उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या धारा 9(4) एवं ए0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप—धारा (3) या उप—धारा (4) के अन्तर्गत कुछ श्रेणियों के माल या सेवाओं या दोनों के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय माल या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर तय किया जाता है।

जीएसटीआर—9 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक बार पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल किये जाने वाला वार्षिक विवरणी है, जो एसईजेड इकाइयों और एसईजेड डेवलपर्स सहित नियमित करदाता थे। करदाताओं को खरीद, बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट या दावा किए गए प्रतिदाय या सृजित माँग आदि का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

वर्ष 2017–18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर0सी0एम0) के अन्तर्गत भुगतान किए गए कर पर प्राप्त आईटी0सी0 की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, जीएसटीआर—3बी एवं वार्षिक विवरणी जी0एस0टी0आर0 9 से सम्बन्धित डेटासेट की

²⁴ अन्य उल्कमित आईटीसी।

²⁵ अन्य सभी पात्र आईटीसी।

तुलना यह जाँचने के लिए की गई थी कि क्या आर0सी0एम0 पर प्राप्त आई0टी0सी0 भुगतान किए गए कर की सीमा तक सीमित थी। जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(डी)²⁶ में आर0सी0एम0 भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका 6सी²⁷, 6डी²⁸ एवं 6एफ²⁹ में प्राप्त आई0टी0सी0 के साथ करने की पद्धति अपनाई गयी थी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जाँच को जीएसटीआर-3बी तक सीमित कर दिया गया था, जहाँ आर 3बी तालिका 3.1 (डी) में कर निर्वहन वाले हिस्से की तुलना आर 3बी 4ए(2)³⁰ और 4ए(3)³¹ के आई0टी0सी0 लाभ वाले हिस्से से की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्ड-3, नोएडा के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति मेसर्स पियरसन इण्डिया एजुकेशन सर्विसेज प्रा० लिमिटेड जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXXXX1Z9 के प्रकरण में, जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(डी) में उपलब्ध आई0टी0सी0 ₹ 0.9 करोड़ थी, जबकि जीएसटीआर-9 की तालिका (6सी+6डी+6एफ) में प्राप्त आई0टी0सी0 ₹ 3.84 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त आई0टी0सी0 की राशि ₹ 2.93 करोड़ की भिन्नता हुई, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया गया है।

(iii) आयाम-कर के भुगतान के बिना आर0सी0एम0 पर आई0टी0सी0 का अधिक लाभ
वर्ष 2017-18 के लिए समकक्ष कर देनदारी का निर्वहन किए बिना आर0सी0एम0 के अन्तर्गत आई0टी0सी0 का लाभ उठाने की सीमा अथवा, दूसरे शब्दों में, आर0सी0एम0 के अन्तर्गत कर के कम भुगतान का विश्लेषण जीएसटीआर-3बी और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-9 से सम्बन्धित डेटासेट की तुलना यह जाँचने के लिए किया गया था कि क्या आर0सी0एम0 के अन्तर्गत गतिविधियों/लेनदेन पर कर का पूरी तरह से निर्वहन कर दिया गया है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर-9 दाखिल किया गया था वहाँ तालिका 4जी³² में आर0सी0एम0 भुगतान की तुलना तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आई0टी0सी0 से की गई थी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-3बी के तालिका 3.1(डी)³³ में आर0सी0एम0 भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी के तालिका 4ए(2)³⁴ एवं 4ए(3)³⁵ से की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्ड-मोदीनगर, गाजियाबाद के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति, मेसर्स दुर्गा मार्बल्स, जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXXXX1ZX के प्रकरण में

²⁶ आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

²⁷ आवक आपूर्ति अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त होती है जिस पर रिवर्स चार्ज लगता है।

²⁸ रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति।

²⁹ सेवाओं का आयात।

³⁰ सेवाओं का आयात।

³¹ आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

³² आवक आपूर्ति जिस पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना है।

³³ आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

³⁴ सेवाओं का आयात।

³⁵ माल और सेवाओं के आयात को छोड़कर रिवर्स चार्ज लगाये जाने के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति।

जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी में कोई आर0सी0एम0 भुगतान नहीं किया गया था (जीएसटीआर-3बी में भी कोई आर0सी0एम0 भुगतान नहीं दिखाया गया था) एवं जीएसटीआर-9 की तालिका (6सी+6डी+6एफ) में ₹ 44.14 लाख की आई0टी0सी0 का लाभ उठाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 44.14 लाख की राशि के कर भुगतान के बिना आर0सी0एम0 पर आई0टी0सी0 का अधिक लाभ प्राप्त हुआ, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी-10 में कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत कर दिया गया है।

(iv) आयाम—आई0एस0डी0 क्रेडिट पर प्राप्तकर्ता द्वारा आई0टी0सी0 का अनियमित लाभ उठाना

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा प्राप्त आई0टी0सी0, इनपुट सेवा वितरक (इ0से0वि0) द्वारा हस्तान्तरित आई0टी0सी0 से अधिक है, प्राप्त आई0टी0सी0 जैसा कि करदाता के विवरणी में घोषित है, की तुलना आई0एस0डी0 द्वारा उनके जी0एस0टी0आर0 6 में हस्तान्तरित आई0टी0सी0 से की गयी है। राज्य के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्राप्तकर्ता करदाताओं के जीएसटीआर-9 की तालिका 6जी³⁶ अथवा जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(ए)(4)³⁷ की तुलना सम्बन्धित आई0एस0डी0 के जीएसटीआर-6 की तालिका 5ए³⁸, तालिका 8ए³⁹ और तालिका 9ए⁴⁰ के योग से किये जाने की पद्धति अपनाई गयी थी।

कार्पोरेट सर्किल, अलीगढ़ के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति मेसर्स हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXXXX1ZS के प्रकरण में, लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर-9 की तालिका 6जी में प्राप्त आई0टी0सी0 ₹ 41.93 करोड़ थी और आई0एस0डी0 द्वारा जीएसटीआर-6 के तालिका (5ए+8ए+9ए) में हस्तान्तरित आई0टी0सी0 ₹ 33.20 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप आई0एस0डी0 द्वारा हस्तान्तरित आई0टी0सी0 से ₹ 8.73 करोड़ अधिक प्राप्त किया गया, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। उत्तर में, विभाग ने बताया (जून 2023) कि ₹ 8.73 करोड़ के आई0एस0डी0 पर आई0टी0सी0 का दावा ट्रान-1 के माध्यम से किया गया था एवं इसे जीएसटीआर-3बी तालिका 4(ए)(4) में घोषित करके भी उपयोग किया गया था, इसे कराधेय व्यक्ति द्वारा डीआरसी-03 दिनांक 09 मार्च 2023 के माध्यम से उत्क्रमित कर दिया गया था।

(v) आयाम—जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में असमाधानित आई0टी0सी0

जीएसटीआर-9सी की तालिका 14, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में घोषित आई0टी0सी0 की लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार व्ययों पर प्राप्त आई0टी0सी0 के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कालम 14टी असमाधानित आई0टी0सी0 से सम्बन्धित है।

³⁶ आईएसडी से प्राप्त आईटीसी।

³⁷ आईएसडी से आवक आपूर्ति।

³⁸ कर अवधि के लिए पात्र आईटीसी की राशि का वितरण।

³⁹ पुनः प्राप्त और वितरित आईटीसी की भिन्नता।

⁴⁰ गलत प्राप्तकर्ता को आई0टी0सी0 का पुनर्वितरण।

वर्ष 2017–18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर–9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण जैसा कि उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक है कि, वार्षिक विवरणी में घोषित आई0टी0सी0 की वित्तीय विवरण में बताए गए व्यय के साथ पहचाने गए भिन्नता की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

कार्पोरेट सर्किल-II लखनऊ के अन्तर्गत मेसर्स हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXXXX1Z5 के प्रकरण में, जीएसटीआर–9सी की तालिका 14टी में घोषित ₹ 178.23 करोड़ की असमाधानित आई0टी0सी0, जो कि वित्तीय विवरणों में प्रतिवेदित किए गए व्ययों के आधार पर पात्र आई0टी0सी0 से मा0से0क0 विवरणी में प्राप्त अधिक आई0टी0सी0 है, को संज्ञान में लिया गया तथा शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी–10 में नोटिस निर्गत किया गया है।

(vi) आयाम—जीएसटीआर–9सी की तालिका 12एफ में असमाधानित आई0टी0सी0

जीएसटीआर–9सी की तालिका 12, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर–9) में घोषित आई0टी0सी0 का लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार प्राप्त आई0टी0सी0 के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कालम 12एफ असमाधानित आई0टी0सी0 से सम्बन्धित है।

वार्षिक विवरणी में घोषित आई0टी0सी0 की वित्तीय विवरण के साथ पहचाने गए भिन्नता की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था जैसा कि वर्ष 2017–18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर–9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण जैसा कि उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक था।

खण्ड–4 गाजियाबाद के अन्तर्गत मेसर्स ई0एम0एस0 लिमिटेड, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXXXX1ZH के प्रकरण में जीएसटीआर–9सी की तालिका 12एफ में घोषित ₹ 19.81 करोड़ की असमाधानित आई0टी0सी0 जो कि वित्तीय विवरणों के आधार पर पात्र आई0टी0सी0 से मा0से0क0 विवरणी में प्राप्त अधिक आई0टी0सी0 थी, को संज्ञान में लिया गया तथा शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी–10 में नोटिस निर्गत किया गया है।

(vii) आयाम—जीएसटीआर–9सी की तालिका 5आर में असमाधानित टर्नओवर

जीएसटीआर–9सी की तालिका 5, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर का वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर–9) में घोषित टर्नओवर के साथ मिलान है। इस तालिका का कालम 5आर वार्षिक विवरणी जीएसटीआर–9 तथा अपेक्षित समायोजनों के पश्चात वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित किए गए टर्नओवर के मध्य असमाधानित टर्नओवर को दर्शाता है।

वार्षिक विवरणी में घोषित टर्नओवर की वित्तीय विवरण के साथ पहचाने गए भिन्नता की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था जैसा कि

वर्ष 2017–18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर–9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण जैसा कि उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक था। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर–9 में घोषित टर्नओवर वित्तीय विवरण से कम है जैसा कि असमाधानित राशि, प्रतिवेदित न करना, प्रतिवेदन के अन्तर्गत, कम प्रतिवेदित करना, चूक, आपूर्ति को प्रतिवेदित करने में त्रुटि के कारण कर चोरी या कर के कम भुगतान को इंगित करता है। यह कर योग्य एवं छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों को प्रतिवेदित न करने का प्रकरण भी हो सकता है।

जीएसटीआर–9सी की तालिका 5आर में ₹ 925.60 करोड़ के असमाधानित टर्नओवर पर लेखापरीक्षा पृच्छा खण्ड 13 नोएडा के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति, मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX3ZM के सम्बन्ध में निर्गत की गई थी तथा शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी 10 में 16.03.2023 को नोटिस निर्गत किया गया है।

(viii) आयाम—जीएसटीआर–9सी की तालिका 7जी में असमाधानित कर योग्य टर्नओवर
जीएसटीआर–9सी की तालिका 7 कर योग्य टर्नओवर का समाधान है। इस तालिका का कालम 7जी वार्षिक विवरणी जीएसटीआर–9 तथा अपेक्षित समायोजनों के पश्चात वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित किए गए टर्नओवर के मध्य असमाधानित कर योग्य टर्नओवर को दर्शाता है।

वार्षिक विवरणी में घोषित कर योग्य टर्नओवर की वित्तीय विवरण के साथ पहचाने गए भिन्नता की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था जैसा कि वर्ष 2017–18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर–9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण जैसा कि उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक था। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर–9 में घोषित टर्नओवर वित्तीय विवरण से कम है जैसा कि असमाधानित राशि, प्रतिवेदित न करना, प्रतिवेदन के अन्तर्गत, कम प्रतिवेदित करना, चूक, आपूर्ति को प्रतिवेदित करने में त्रुटि के कारण कर चोरी या कर के कम भुगतान को इंगित करता है। यह कर योग्य एवं छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों को प्रतिवेदित न करने का प्रकरण भी हो सकता है।

जीएसटीआर–9सी की तालिका 7जी में असमाधानित ₹ 221.32 करोड़ की राशि के कर योग्य टर्नओवर पर लेखापरीक्षा पृच्छा, खण्ड मोदीनगर, गाजियाबाद के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति, मेसर्स मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX5Z0 के सम्बन्ध में निर्गत की गई थी तथा शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी 10 में कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया गया है।

(ix) आयाम—जीएसटीआर–9सी की तालिका 9आर में असमाधानित कर देनदारी

वार्षिक विवरणी में घोषित की वित्तीय विवरण की लेखापुस्तकों के साथ पहचाने गए भिन्नता की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था जैसा कि वर्ष 2017–18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर–9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत

प्रमाणित समाधान विवरण जैसा कि उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक था। प्रपत्र 9सी की तालिका 9 टर्नओवर को दर के अनुसार अलग—अलग करके भुगतान किए गए कर का मिलान करने का प्रयास करती है तथा इसकी तुलना वार्षिक विवरणी जी0एस0टी0आर0 9 के अनुसार निर्वहित कर के साथ करती है। असमाधानित राशि संभावित रूप से गलत दरों पर लगाए गए कर, कर योग्य टर्नओवर के करमुक्त के रूप में गलत चित्रण या इसके विपरीत अथवा रा0मा0से0क0 / के0मा0से0क0 / ए0मा0से0क0 के त्रुटिपूर्ण आरोपण का संकेत दे सकती है। ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं जहाँ 2017–18 के सम्बन्ध में अगले वर्ष के अप्रैल से सितम्बर 2018 तक में किए गये संब्यवहार में आपूर्ति/घोषित कर में कमी संशोधनों के माध्यम से (शुद्ध डेबिट नोट्स/क्रेडिट नोट्स) कर दी गई हों। परिणामी ब्याज भुगतान—कम भुगतान एवं गलत मदों के अन्तर्गत भुगतान दोनों की भी इस सम्बन्ध में जाँच किए जाने की आवश्कता है।

खण्ड—1, चंदौसी के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति मेसर्स एण्ड कम्पनी, जीएसटीआईएन—09XXXXXXXXXXXX1ZE के प्रकरण में जीएसटीआर—9सी की तालिका 9आर में घोषित कर के भुगतान की असमाधानित राशि ₹ 6.82 करोड़ को शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी—10 में कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया गया है।

(x) आयाम—कर दायित्व की कम घोषणा

जीएसटीआर—1 माल और/या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का मासिक विवरण दर्शाता है। इन विवरणों का वार्षिक विवरणी जीएसटीआर—9 के सम्बन्धित कालम में उल्लेख किया जाता है एवं करदाता द्वारा भी मूल्यांकन किया जाता है। अग्रेतर, कर योग्य मूल्य और उस पर किया गया कर भुगतान भी जीएसटीआर—3बी में दर्शाया जाता है।

अनिर्वहित कर देनदारी का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017–18 के लिए जीएसटीआर—1 और जीएसटीआर—9 से प्रासंगिक डेटा निकाला गया तथा इन विवरणियों में देय कर की तुलना जीएसटीआर—9 में घोषित किए गए कर के भुगतान से की गयी। जहाँ जीएसटीआर—9 उपलब्ध नहीं था वहाँ जीएसटीआर—1 और जीएसटीआर—3बी के मध्य देय कर की तुलना का सहारा लिया गया। इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर—1 एवं 9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया।

एल्पोरिदम के लिए, जीएसटीआर—1 की तालिका 4 से 11 तथा जीएसटीआर—9 की तालिका 4एन, 10 एवं 11 पर विचार किया गया। कर के कम भुगतान की पहचान करने के लिए जीएसटीआर—1 एवं जीएसटीआर—9 के मध्य अधिक कर देनदारी की तुलना जीएसटीआर—9 की तालिका 9 एवं 14 में घोषित कर भुगतान के साथ की गयी थी। जीएसटीआर—3बी के प्रकरण में तालिका 3.1(ए)⁴¹ एवं 3.1(बी)⁴² को ध्यान में रखा गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्पोरेट सर्किल-II लखनऊ के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति मेसर्स एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड, जीएसटीआईएन—09XXXXXXXXXXXX9ZO के

⁴¹ जावक कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड, शून्य रेटेड और छूट प्राप्त के अलावा)।

⁴² जावक कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड)।

प्रकरण में, जीएसटीआर-1 की तालिका 4 से 11 में देय कर ₹ 72.55 करोड़ था एवं जीएसटीआर-9 की तालिका 9 एवं 14 में देय कर ₹ 63.95 करोड़ घोषित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-3बी के मध्य ₹ 8.60 करोड़ की कर देयता की भिन्नता हुई, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। प्रतिक्रिया में, विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी 10 में नोटिस निर्गत किया गया है।

(xi) आयाम—जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार, कराधेय व्यक्ति द्वारा दाखिल किए गए विभिन्न विवरणियों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए उचित अधिकारी द्वारा जाँच की जानी चाहिए, और विवरणियों में दिखाई देने वाली किसी भी विसंगति या असंगतता पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

डेटा स्तर पर, हमने उन कराधेय व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास किया जिन्होंने जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया है लेकिन जीएसटीआर-1 दाखिल किया है या जिनका जीएसटीआर-2ए उपलब्ध था। जीएसटीआर-3बी विवरणी एक मात्र साधन है जिसके माध्यम से देनदारी का समायोजन किया जाता है एवं आई0टी0सी0 का लाभ उठाया जाता है। जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-2ए की उपलब्धता और जीएसटीआर-3बी दाखिल न करना यह दर्शाता है कि कराधेय व्यक्ति ने इस अवधि के दौरान व्यवसाय किया था लेकिन अपनी कर देनदारी का निर्वहन नहीं किया है। इसमें आई0टी0सी0 को अनियमित रूप से आगे बढ़ाने के प्रकरण भी शामिल हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्ड-12, लखनऊ के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति मेसर्स मारुति इण्टरप्राइजेज जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXX1ZK ने जीएसटीआर-1 दाखिल किया था एवं ₹ 12.83 करोड़ की कर देनदारी स्वीकार की थी। करदाता ने 2017-18 के लिए एक भी जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.83 करोड़ की कर देनदारी का भुगतान नहीं हुआ। यह शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 74 के अन्तर्गत डीआरसी-01 में नोटिस निर्गत किया गया है।

(xii) आयाम—ब्याज का कम भुगतान

अधिनियम की धारा 50 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर शासन को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसका कोई भाग बकाया रह जाता है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

वर्ष 2017-18 के दौरान कर के विलम्बित प्रेषण के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान जीएसटीआर-3बी में भुगतान किए गए कर विवरण और जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की तिथि का उपयोग करके की गई थी। देय ब्याज की गणना के लिए केवल शुद्ध कर देनदारी (नकद घटक) पर विचार किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्पोरेट सर्किल, नोएडा के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति, मेसर्स बर्जर पेण्ट्स इण्डिया लिमिटेड, जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXXXX1ZT के प्रकरण में माह दिसम्बर 2017 से सम्बन्धित विवरणी (जीएसटीआर-3बी) विलम्ब से दाखिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.84 करोड़ की ब्याज की राशि का कम भुगतान हुआ, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि माह दिसम्बर 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी विवरणी मार्च 2018 में दाखिल किया गया था एवं कैश लेजर से ₹ 4.13 करोड़ डेबिट किए गए थे, लेकिन पोर्टल पर यह माह अक्टूबर 2018 में दाखिल दिखाया जा रहा था। सत्यापन प्रक्रियाधीन है।

2.6.2.3 कारणात्मक कारकों का विश्लेषण

462 डेटा विचलन/असंगतियों के नमूने में से 453 प्रकरणों पर विभाग की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए, डेटा विचलन/असंगतियों का कारण बनने वाले कारक इस प्रकार हैं:

(अ) मार्गोदार कानून और नियमों से विचलन: तालिका-2.6 में संक्षेपित 453 विचलनों में से, विभाग ने 214 प्रकरणों में ₹ 4,351.03 करोड़ के आई0टी0सी0/टैक्स/टर्नओवर के भिन्नता के साथ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है या जाँच प्रारम्भ कर दी है। इन प्रकरणों में से, विभाग ने 10 प्रकरणों में ₹ 12.02 करोड़ की वसूली कर ली है, 123 प्रकरणों में ₹ 3,879.79 करोड़ के लिए करदाता को विसंगतियों के बारे में सूचित करते हुए प्रपत्र एएसएमटी-10 में नोटिस निर्गत कर दिया है एवं 81 प्रकरणों में ₹ 459.22 करोड़ के लिए एस0सी0एन0 निर्गत कर दिया है। विवरण परिशिष्ट-VI में दिया गया है। शीर्ष पाँच स्वीकार किए गये प्रकरण तालिका 2.8 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.8 : शीर्ष पाँच प्रकरण (आई0टी0सी0/कर में भिन्नता) विभाग द्वारा स्वीकार किये गये अथवा कार्यवाही प्रारम्भ की गयी

क्र0 स0	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	खण्ड का नाम	आयाम	आई0टी0सी0 / कर में भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही
1.	09XXXXXXXXXXXX1Z5	मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	कार्पोरेट सर्किल-II, लखनऊ	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर-9सी की तालिका-14टी)	178.33	एएसएमटी-10 निर्गत किया गया है।
2.	09XXXXXXXXXXXX1ZY	मेसर्स जी0डी0एन0 एण्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	कार्पोरेट सर्किल, नोएडा	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर-9सी	76.00	एएसएमटी-10 निर्गत किया गया है।

क्र० स०	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	खण्ड का नाम	आयाम	आई०टी०सी० / कर में भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही
				की तालिका 14टी)		
3.	09XXXXXXXXXXXX1ZQ	मेसर्स बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड	कार्पोरेट सर्किल-II, लखनऊ	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई०टी०सी० का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी)	59.73	एएसएमटी-10 निर्गत किया गया है।
4.	09XXXXXXXXXXXX4ZE	मेसर्स लार्सन एण्ड ट्रॉ इफास्ट्रक्चर वर्टिकल	खण्ड-3 हापुड़	जीएसटीआर-2ए एवं जीएसटीआर-3बी के मध्य आई०टी०सी० की भिन्नता	27.11	एएसएमटी-10 निर्गत किया गया है।
5.	09XXXXXXXXXXXX1ZL	मेसर्स जिंदल क्वालिटी ट्यूबलर लिमिटेड	खण्ड कोसीकलां	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई०टी०सी० का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी)	25.81	एस०सी०एन० निर्गत किया गया है।

उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

कार्पोरेट सर्किल, नोएडा के अन्तर्गत मेसर्स जी०डी०एन० इण्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXXXX1ZY के प्रकरण में वित्तीय विवरणों में प्रतिवेदित किए गए व्ययों के आधार पर पात्र आई०टी०सी० से अधिक आई०टी०सी० मा०से०क० विवरणी में प्राप्त करने के कारण जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में घोषित ₹ 76.00 करोड़ की असमाधानित आई०टी०सी० का संज्ञान लिया गया तथा शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ०प्र०मा०से०क० अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत 06 अप्रैल 2023 को एएसएमटी-10 में नोटिस निर्गत किया गया है।

(ब) ऐसे प्रकरण जहाँ विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार नहीं था

462 गैर-अनुपालन प्रकरणों में से, विभाग ने ₹ 103.83 करोड़ के 21 प्रकरणों में कमियों को स्वीकार नहीं किया। इन प्रकरणों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विभाग ने कर के भुगतान के बिना आर०सी०एम० पर प्राप्त आई०टी०सी० के बजाय कर देयता के लिए नोटिस निर्गत किया, असमाधानित टर्नओवर पर नोटिस के बजाय आई०टी०सी० के अतिरिक्त दावे के लिए नोटिस निर्गत किया। लेखापरीक्षा खण्डन सहित इन प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-VII में दिया गया है। शीर्ष पाँच खण्डन के प्रकरण एवं कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण तालिका 2.9 में दर्शाये गए हैं।

तालिका 2.9 : मौद्रिक मूल्य के सन्दर्भ में शीर्ष पाँच प्रकरण जहाँ विभाग की प्रतिक्रिया का खण्डन किया गया था

क्र० सं	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता की राशि (₹ करोड़ में)
1.	09XXXXXXXXXXXX1ZO	मेसर्स सनप्लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लिमिटेड	कार्पोरेट सर्किल-2, ग्रेटर नोएडा	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई०टी०सी० का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी)	39.09
2.	09XXXXXXXXXXXX1ZT	मेसर्स रेवेट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	खण्ड-9 लखनऊ	जीएसटीआर-9सी के तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	31.78
3.	09XXXXXXXXXXXX1ZQ	मेसर्स पिडिलाइट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	खण्ड-1, गौतम बुद्ध नगर	जीएसटीआर-2ए एवं जीएसटीआर-3बी के मध्य आई०टी०सी० की भिन्नता	21.25
4.	09XXXXXXXXXXXX1ZT	मेसर्स हरि दर्शन कम्पनी	खण्ड-4 आजमगढ़	जीएसटीआर-2ए एवं जीएसटीआर-3बी के मध्य आई०टी०सी० की भिन्नता	3.69
5.	09XXXXXXXXXXXX1ZP	मेसर्स ओमार डिस्ट्रीब्यूटर्स	खण्ड-1 कानपुर	जीएसटीआर-2ए एवं जीएसटीआर-3बी के मध्य आई०टी०सी० की भिन्नता	1.92

i. वित्तीय विवरणों में सूचित किए गए व्ययों के आधार पर पात्र आई०टी०सी० से अधिक आई०टी०सी० मा०से०क० विवरणी में प्राप्त करने के कारण, जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में घोषित ₹ 39.09 करोड़ की असमाधानित आई०टी०सी० का कार्पोरेट सर्किल-2, ग्रेटर नोएडा के अन्तर्गत मेसर्स सनप्लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXXXX1ZO के प्रकरण में संज्ञान लिया गया तथा शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि जीएसटीआर-2ए तथा जीएसटीआर-3बी में दावा किए आई०टी०सी० की भिन्नता के लिए उ०प्र०मा०से०क० अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी-10 में 10 अप्रैल 2023 को नोटिस निर्गत किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टिप्पणी वित्तीय विवरण में सूचित किए गए व्ययों के आधार पर पात्र आई०टी०सी० से अधिक आई०टी०सी० मा०से०क० विवरणी में प्राप्त करने के कारण जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में घोषित ₹ 39.09 करोड़ के आई०टी०सी० पर की गई थी।

ii. जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में घोषित ₹ 31.78 करोड़ का असमाधानित टर्नओवर खण्ड 9 लखनऊ के अन्तर्गत मेसर्स रेवेट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXXXX1ZT के प्रकरण में देखा गया, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए, आई0टी0सी0 के अतिरिक्त दावे के लिए ₹ 24.20 लाख, शास्ति ₹ 2.42 लाख तथा ब्याज ₹ 24.57 लाख की माँग सूचित कर दी गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उचित अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में अतिरिक्त दावे, शास्ति एवं ब्याज की गणना का आधार ₹ 31.78 करोड़ के असमाधानित टर्नओवर से सम्बन्धित नहीं था।

iii. लेखापरीक्षा ने पाया कि खण्ड-1, गौतम बुद्ध नगर के अन्तर्गत करदाता मेसर्स पिडिलाइट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXXXX1ZQ के प्रकरण में, जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आई0टी0सी0 ₹ 36.14 करोड़ थी तथा जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त आई0टी0सी0 ₹ 57.39 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आई0टी0सी0 की राशि ₹ 21.25 करोड़ की भिन्नता हुयी, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि कराधेय व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त दावा किये गये आई0टी0सी0 ₹ 32104.00 को जमा कर दिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने जीएसटीआर-3बी में दावा किए गए ₹ 21.25 करोड़ के आई0टी0सी0 एवं जीएसटीआर-2ए में आटो-पापुलेटेड आई0टी0सी0 के अन्तर पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया है।

iv. लेखापरीक्षा ने पाया कि खण्ड-4 आजमगढ़ के अन्तर्गत करदाता मेसर्स हरि दर्शन कम्पनी जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXXXX1ZT के प्रकरण में, जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आई0टी0सी0 ₹ 11.68 करोड़ थी तथा जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त आई0टी0सी0 ₹ 15.37 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आई0टी0सी0 की राशि ₹ 3.69 करोड़ की भिन्नता हुयी, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी-10 में कराधेय व्यक्ति को 30 जून 2021 को नोटिस निर्गत किया गया था। अनुपालन में कराधेय व्यक्ति ने 09 जुलाई 2021 को उत्तर प्रस्तुत किया था जो पोर्टल से विश्वसनीय और सत्यापित पाया गया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति जीएसटीआर-2ए एवं जीएसटीआर-3बी के मध्य ₹ 3.69 करोड़ के आई0टी0सी0 की भिन्नता पर थी, जिसे उत्तर में सम्बोधित नहीं किया गया।

v. लेखापरीक्षा ने पाया गया कि खण्ड-1 कानपुर के अन्तर्गत करदाता मेसर्स ओमार डिस्ट्रीब्यूटर्स जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXXXX1ZP के प्रकरण में, जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आई0टी0सी0 ₹ 1.88 करोड़ थी तथा जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त आई0टी0सी0 ₹ 3.80 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आई0टी0सी0 की राशि ₹ 1.92 करोड़ की भिन्नता हुयी, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि ₹ 1.88 करोड़ की आई0टी0सी0, जिसे जीएसटीआर-9 के कालम 6बी में आवक आपूर्ति (आर0सी0एम0 के अलावा) के अन्तर्गत दर्ज किया जाना था, गलती से

जीएसटीआर-9 के कालम 6डी में दर्ज कर दिया गया था जिसमें रिवर्स चार्ज करने के लिए आवक आपूर्ति पर आई0टी0सी0 उत्तरदायी है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति जीएसटीआर-2ए एवं जीएसटीआर-3बी के मध्य ₹ 1.92 करोड़ के आई0टी0सी0 के भिन्नता पर थी जिसे उत्तर में सम्बोधित नहीं किया गया था।

(स) करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ: डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ कुल प्राप्त प्रतिक्रियाओं का आठ प्रतिशत (36 प्रकरण) थीं और इन प्रकरणों में विभाग की प्रतिक्रियाओं को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इन डेटा प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था। अधिकांश डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ आर0सी0एम0, आई0एस0डी0, टर्नओवर, करयोग्य टर्नओवर एवं अनिर्वहित कर दायित्व से सम्बन्धित थीं जैसा कि परिशिष्ट-VIII में वर्णित है।

डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के शीर्ष पाँच प्रकरण तालिका 2.10 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.10 : करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता की राशि (₹ करोड़ में)
1.	09XXXXXXXXXX1ZA	मेसर्स श्रेयस इंटरप्राइजेज	खण्ड-9 गोरखपुर	जीएसटीआर-9सी के तालिका 7जी में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	68.26
2.	09XXXXXXXXXX1ZU	मेसर्स श्री जी टिम्बर इण्डस्ट्रीज	खण्ड-1 हापुड़	अनिर्वहित कर देनदारियाँ	34.92
3.	09XXXXXXXXXX1ZM	मेसर्स मेरठ विकास प्राधिकरण	खण्ड-10 मेरठ	जीएसटीआर-9सी के तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	30.71
4.	09XXXXXXXXXX1Z1	मेसर्स अमित ऑटो सेल्स	खण्ड-2 बस्ती	अनिर्वहित कर देनदारियाँ	18.26
5.	09XXXXXXXXXX1ZA	मेसर्स गजानन इंटरप्राइजेज	खण्ड-1 लखीमपुर खीरी	जीएसटीआर-9सी के तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	17.39

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

खण्ड 2 बस्ती के अन्तर्गत करदाता मेसर्स अमित आटो सेल्स जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXX1Z1 के जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-9 विवरणी के मध्य कर देयता के भिन्नता के रूप में ₹ 18.26 करोड़ की राशि के विचलन की पहचान की गयी थी तथा विभाग को सूचित किया गया था। विभाग ने उत्तर दिया कि टंकणीय त्रुटि के कारण, जीएसटीआर-9 के कालम 4 में के०मा०से०क० ₹ 1,01,43,125.93 एवं रा०मा०से०क० ₹ 1,01,43,125.93 की कर देयता जो कि ₹ 7,26,14,502.00 की जावक आपूर्ति पर था एवं जिसका भुगतान करदाता द्वारा किया गया था, के स्थान पर के०मा०से०क० ₹ 10,14,31,025.93 एवं रा०मा०से०क० ₹ 10,14,31,025.93 दर्ज कर दिया गया था।

सिस्टम ने ऐसी डेटा प्रविष्टि त्रुटियों की अनुमति दी, जिन्हें उचित सत्यापन नियन्त्रण से टाला जा सकता था।

(द) लेखापरीक्षा पृच्छा निर्गत करने से पूर्व कृत कार्यवाही: जैसा कि तालिका-6 में संक्षेपित किया गया है कि विभाग ने पहले ही 13 प्रकरणों में कार्यवाही कर दी थी, जो प्राप्त 453 प्रतिक्रियाओं का तीन प्रतिशत है। शीर्ष छ: जोन जिन्होंने सक्रिय रूप से विचलन/असंगतियों को सम्बोधित किया था, तालिका 2.11 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.11 : पृच्छा से पूर्व की गयी कार्यवाही—क्षेत्रवार

क्षेत्राधिकार	खण्ड का नाम	लेखापरीक्षा पृच्छा से पूर्व कृत कार्यवाही (संख्या)	लेखापरीक्षा पृच्छा* से पूर्व कृत कार्यवाही (₹ करोड़ में)	क्षेत्र में प्रकरणों की कुल संख्या	कुल प्राप्त प्रतिक्रियाएं	प्रतिक्रियाएं प्राप्त नहीं हुई	कुल प्रकरणों का प्रतिशत (3/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-I, आगरा	ज्वा.क. (का.स.) आगरा	01	3.41	15	15	0	13.33
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-I, सहारनपुर	खण्ड 20 आगरा	01	0.36				
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-I, सहारनपुर	खण्ड 8 सहारनपुर	01	10.06	08	08	0	12.50
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-I, वाराणसी-II	खण्ड 2 भदोही	01	0.26	27	26	01	3.70
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-I, गोरखपुर	खण्ड 2 महराजगंज	01	8.52	20	20	0	10
	खण्ड 1 सिद्धार्थनगर	01	0.90				
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-I, लखनऊ-II	खण्ड 16 लखनऊ	01	205.43	37	36	01	2.70
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-I, प्रयागराज	खण्ड 5 प्रयागराज	01	0.36	15	15	0	13.33
	ज्वा.क. (का.स.) प्रयागराज	01	0.56				
योग		09	229.86	122	120	02	7.38

*टर्नओवर की भिन्नता भी शामिल है।

संस्तुति 4: विभाग डेटा प्रविष्टि त्रुटियों पर अंकुश लगाने, करदाता अनुपालन बढ़ाने और बेहतर जाँच की सुविधा के लिए मा०से०क० विवरणियों में सत्यापन नियन्त्रण प्रारम्भ करने पर विचार कर सकता है।

2.6.3 कर भुगतान पर निगरानी—विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व—मूल्यांकन व्यवस्था में, कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर है। विभाग की भूमिका निगरानी प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तन्त्र की स्थापना एवं रखरखाव करना है। संसाधनों के सीमित स्तर के साथ एक प्रभावी कर प्रशासन के लिए, कानून का अनुपालन एवं राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल शासन तन्त्र आवश्यक है। एक आईटी संचालित अनुपालन माडल बड़े पैमाने पर शासन की गैर—विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है तथा अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

वाह्य लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने डेटा—संचालित जोखिम—आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केन्द्रित किया। इस प्रकार, डेटा विश्लेषण के माध्यम से मा०से०क० विवरणियों में विसंगतियों/विचलनों की पहचान करने के अलावा, इस समीक्षा के एक भाग के रूप में मा०से०क० विवरणियों की एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गयी थी। समीक्षा के इस भाग के लिए 80 करदाताओं का जोखिम—आधारित नमूना चुना गया था। संभावित जोखिम क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलनों एवं रेड फ्लैग की पहचान करने के लिए करदाताओं द्वारा जीएसटीआर—९सी के हिस्से के रूप में दाखिल किए गए मा०से०क० विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों तथा बैंक—एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों की प्रारम्भ में डेस्क समीक्षा करने की पद्धति अपनाई गयी थी। डेस्क समीक्षा नि०म०ले०प० के क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों में सम्पन्न की गयी थी। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर पहचाने गए जोखिमों के कारण कारकों की पहचान करने और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय बहीखाता, चालान आदि जैसे करदाताओं के सम्बन्धित विस्तृत अभिलेखों की माँग सम्बन्धित क्षेत्रीय संरचना के माध्यम से करते हुए वाणिज्य कर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में विस्तृत लेखापरीक्षा की गयी थी।

जैसा कि पूर्व प्रस्तरों में उल्लेख किया गया है कि विस्तृत लेखापरीक्षा में जोखिमों एवं रेड फ्लैग की पहचान करने के लिए मा०से०क० विवरणियों एवं अन्य बुनियादी अभिलेखों का एक डेस्क समीक्षा शामिल था, जिसके बाद करदाताओं द्वारा अनुपालन न करने की सीमा एवं वाणिज्य कर विभाग की क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गयी कार्यवाही की पहचान करने के लिए वाह्य लेखापरीक्षा की गयी थी। विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा अनुपालन न करना अंततः दाखिल विवरणियों की सत्यता, आई०टी०सी० के उपयोग एवं कर भुगतान के निर्वहन को प्रभावित करता है। इसलिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को (अ) विवरणियां (ब) आई०टी०सी० का उपयोग एवं (स) कर देनदारी का निर्वहन के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

2.6.3.1 कार्यक्षेत्र सीमा (अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतीकरण)

अभिलेखों के आंशिक प्रस्तुतीकरण का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेद में संक्षेपित किया गया है:

आंशिक प्रस्तुतीकरण: बैंक—एंड सिस्टम में उपलब्ध करदाताओं के अभिलेखों की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जाँच के लिए अधिक आई0टी0सी0 एवं कर देयता भिन्नता से सम्बन्धित जोखिमों की पहचान की। नौ प्रकरणों में, विभाग ने सम्बन्धित विस्तृत अभिलेख जैसे अनुपूरक वित्तीय बहीखाता, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, बैलेंस शीट की अनुसूची एवं लाभ और हानि खाता आदि प्रस्तुत नहीं किए। इन नौ प्रकरणों में अभिलेखों के आंशिक प्रस्तुतीकरण के कारण, लेखापरीक्षा डेस्क समीक्षा के आधार पर जाँच की जाने वाली आई0टी0सी0 एवं कर देयता के भिन्नता के कारणकारी कारकों की जाँच नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने सम्बन्धित खण्डों के माध्यम से करदाताओं के इन विस्तृत अभिलेखों की माँग की। अभिलेखों के आंशिक प्रस्तुतीकरण का विवरण तालिका 2.12 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.12 : आंशिक प्रस्तुतीकरण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	करधेय व्यक्ति का नाम	क्षेत्राधिकार खण्ड	प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची	भिन्नता की राशि (आई0टी0सी0 एवं अनिर्वहित कर दायित्व)
1.	09XXXXXXXXXX1ZU	मेसर्स आनंद डेयरी	ज्याऽकमि० का०स० रा०क० मेरठ	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, बैलेंस शीट (बी/एस) तथा लाभ और हानि खाता (पी/एल), विविध देनदारों/लेनदारों का विवरण	14.44
2.	09XXXXXXXXXX1ZS	मेसर्स पैन रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड	खण्ड रा०क० नोएडा 10	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रपत्र ३सीडी एवं प्रपत्र ३सीईबी में, पी/एल एवं बी/एस की अनुसूचियां, छ: माह से अधिक के विविध लेनदारों/देनदारों की सूची	29.13
3.	09XXXXXXXXXX2Z1	मेसर्स सनसोर्स एनर्जी प्रा० लिमिटेड	खण्ड रा०क० नोएडा 14	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रपत्र ३सीडी और प्रपत्र ३सीईबी में, विविध लेनदारों/देनदारों की सूची	3.80
4.	09XXXXXXXXXX2ZQ	मेसर्स पावर ग्रिड	ज्याऽकमि० का०स०	लेखापरीक्षक रिपोर्ट की फार्म	0.45

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	क्षेत्राधिकार खण्ड	प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची	मिन्नता की राशि (आईटी०सी० एवं अनिर्वहित कर दायित्व)
		कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	रा०क० प्रयागराज	३सीडी एवं फार्म ३सीईबी, छः माह से अधिक के विविध लेनदारों/देनदारों की सूची	
5.	09XXXXXXXXXXSZA	यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ज्वा०कमि० का०स०-I रा०क० लखनऊ	निदेशकों की रिपोर्ट, फार्म ३सीडी एवं फार्म ३सीईबी में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, पी/एल एवं बी/एस की अनुसूची	5.88
6.	09XXXXXXXXXX1ZK	मेसर्स एलएसीडीएम इंजीनियर्स	खण्ड 12 रा०क० लखनऊ	निदेशक की रिपोर्ट, फार्म ३सीडी एवं फार्म ३सीईबी में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, नोट्स एवं अनुसूची के साथ सम्पूर्ण पी/एल एवं बी/एस खाता	0.03
7.	09XXXXXXXXXX1Z8	मेसर्स प्रथमा बैंक	खण्ड 1 रा०क० मुरादाबाद	निदेशक की रिपोर्ट, फार्म ३सीडी और फार्म ३सीईबी में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, खातों पर नोट्स के साथ पी/एल एवं बी/एस की अनुसूची।	10.40
8.	09XXXXXXXXXX1ZG	मेसर्स जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	ज्वा०कमि० का०स० रा०क० मुरादाबाद	निदेशक की रिपोर्ट	0.24
9.	09XXXXXXXXXX1ZB	मेसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	ज्वा०कमि० का०स० रा०क० मुजफ्फरनगर	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट फार्म ३सीडी एवं फार्म ३सीईबी में	0.13

11 प्रतिशत प्रकरणों में विस्तृत अभिलेख आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे, इस कारण अधिक/अनियमित आई0टी0सी0 लाभ एवं अनिर्वहित कर दायित्व से सम्बन्धित पहचाने गए जोखिमों की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तार से जाँच नहीं की जा सकी थी।

प्रकरण शासन एवं विभाग को (अप्रैल 2023 में) प्रतिवेदित किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

2.6.3.2 विवरणियां

नमूने के 80 कराधेय व्यक्तियों द्वारा दाखिल विवरणियों के विस्तृत लेखापरीक्षा से पता चला कि कराधेय व्यक्तियों द्वारा ब्याज भुगतान का निर्वहन नहीं किया गया था तथा विवरणियों में डेटा त्रुटियाँ मौजूद थीं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया हैं:

(अ) कराधेय व्यक्तियों द्वारा ब्याज का भुगतान कम/न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 29 प्रकरणों, जो कि लेखापरीक्षित 80 प्रकरणों के 36 प्रतिशत थे, में पाया कि कराधेय व्यक्तियों ने या तो अपनी कर देयता को विलम्ब से समायोजित किया था या गलती से अधिक आई0टी0सी0 क्रेडिट का उपयोग किया था जिसका वापस भुगतान कर दिया गया था, लेकिन ₹ 1.76 करोड़ की राशि के ब्याज भुगतान का निर्वहन नहीं किया गया था (परिशिष्ट-IX)।

इस श्रेणी में देखी गई शीर्ष पाँच अनियमितताएं (तालिका 2.13) एवं उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 2.13 : ब्याज का भुगतान न करने के शीर्ष पाँच प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	क्षेत्राधिकार	विचलन में शामिल राशि
1.	09XXXXXXXXXXXX1ZU	खण्ड 20 लखनऊ	1.02
2.	09XXXXXXXXXXXX1ZR	खण्ड 16 राओको गाजियाबाद	0.17
3.	09XXXXXXXXXXXX1Z5	खण्ड 3 राओको नोएडा	0.16
4.	09XXXXXXXXXXXX1Z8	खण्ड 1 राओको मुरादाबाद	0.09
5.	09XXXXXXXXXXXX1ZL	ज्वाओकमि0 कार्पोरोसो-II राओको कानपुर	0.04

i. लेखापरीक्षा ने 2017–18 की अवधि के लिए खण्ड 20 लखनऊ के अन्तर्गत मेसर्स रिट्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXXXX1ZU के जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एवं डीआरसी-03 की जाँच की और पाया कि कराधेय व्यक्ति ने ₹ 9.55 करोड़ के स्वीकृत कर के विरुद्ध केवल ₹ 7.79 करोड़ का कर जमा किया है। इस प्रकार अन्तरीय कर ₹ 1.76 करोड़ का कम भुगतान किया गया था जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2022 में), विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति ने डीआरसी-03 दिनांक 24 मार्च 2022 एवं 30 मार्च 2022 के माध्यम से ₹ 1.76 करोड़ का बकाया कर जमा कर दिया है। उचित अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कराधेय व्यक्ति ने ₹ 30.89 लाख इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट करके एवं ₹ 1.45 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट करके उपरोक्त कर दायित्व का निर्वहन किया है। ₹ 1.45 करोड़ के नकद घटक पर, 21.04.2018 से 24.03.2022

(1434 दिन) की अवधि के लिए ₹ 1.02 करोड़ का ब्याज प्रभार्य था जो कि प्रभारित नहीं किया गया था।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत डीआरसी-01 में नोटिस निर्गत कर दिया गया है।

ii. खण्ड 1 रा0क0 मुरादाबाद के अन्तर्गत मेसर्स प्रथमा बैंक जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXXXX1Z8 ने जुलाई, अगस्त, दिसम्बर 2017 एवं मार्च 2018 के महीनों के लिए जीएसटीआर-3बी विवरणी विलम्ब से दिसम्बर 2017 और जून 2018 के मध्य दाखिल किया था। यद्यपि, कर के विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज की देनदारी ₹ 9.14 लाख का निर्वहन नहीं किया गया था।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि अगस्त 2017 के महीने के लिए ₹ 2.24 लाख का ब्याज 19 मई 2023 को डीआरसी-03 के माध्यम से जमा कर दिया गया है, यद्यपि अवशेष महीनों के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया।

(ब) डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ

लेखापरीक्षा ने कराधेय व्यक्तियों द्वारा मा0से0क0 विवरणियों को दाखिल करते समय डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को देखा। चार प्रकरणों के विवरणियों में डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ देखी गईं, जो लेखापरीक्षा किए गए प्रकरणों का पाँच प्रतिशत थीं, जैसा कि परिशिष्ट-X में वर्णित है। मुख्य रूप से त्रुटियाँ, जीएसटीआर-1 / जीएसटीआर-3बी में कराधेय मूल्यों एवं कर देयता के मध्य विसंगति, जीएसटीआर-1 / जीएसटीआर-3बी में के0मा0से0क0 एवं रा0मा0से0क0 भुगतान में विसंगति, जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-9 के मध्य आई0टी0सी0 प्राप्त करने एवं उत्क्रमित करने में विसंगति आदि जैसे क्षेत्रों में थीं।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

खण्ड 9 रा0क0 गाजियाबाद के अन्तर्गत मेसर्स पंचशील रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXXXX1ZC ने जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-1 के मध्य कर भुगतान में ₹ 5.91 करोड़ की भिन्नता को दर्शाया था। इसे संज्ञान में लाये जाने पर (दिसम्बर 2022) विभाग ने बताया कि कराधेय व्यक्ति ने माह दिसम्बर 2017 के लिए रा0मा0से0क0 ₹ 32,84,546.00 एवं के0मा0से0क0 ₹ 32,84,546.00 की वास्तविक कर राशि के बजाय अनजाने में जीएसटीआर-1 की तालिका 4 में रा0मा0से0क0 ₹ 3,28,45,546.00 एवं के0मा0से0क0 ₹ 3,28,45,546.00 का कर अंकित कर दिया था, जिसे कि जीएसटीआर-3बी में सही रूप से दर्शाया गया था। उत्तर स्वीकार्य योग्य पाया गया।

2.6.3.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) का तात्पर्य किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा माल एवं/या सेवाओं की खरीद पर भुगतान किया गया माल एवं सेवा कर (मा0से0क0) है, जिसका उपयोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के दौरान किया जाता है। करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए, आवक आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग जावक आपूर्ति पर करों के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 16 एवं 17 आई0टी0सी0 का लाभ उठाने के लिए पात्रता एवं शर्तें निर्धारित करती हैं। के0मा0से0क0 के क्रेडिट का उपयोग रा0मा0से0क0 / सं0रा0क्षे0मा0से0क0 के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है तथा रा0मा0से0क0 / सं0रा0क्षे0मा0से0क0 के क्रेडिट का उपयोग के0मा0से0क0 के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली का नियम 36 से 45 आई0टी0सी0 को प्राप्त करने एवं उसे उत्क्रमित करने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है।

लेखापरीक्षा ने जाँच किए गए 80 मामलों में से ₹ 92.77 करोड़ की अनुपालन कमियों के 57 मामले पाए। कमियाँ आई0टी0सी0 का अनियमित रूप से लाभ उठाने, अदेय आई0टी0सी0 का लाभ उठाने, आई0टी0सी0 का न या कम उत्क्रमण तथा इनपुट सेवा वितरण पर आई0टी0सी0 का अधिक लाभ उठाने के कारण थीं।

(अ) आई0टी0सी0 का अनियमित लाभ उठाना

अधिनियम की धारा 16(2) आई0टी0सी0 का लाभ उठाने के लिए शर्तें निर्धारित करती हैं। आई0टी0सी0 का लाभ उठाने के लिए पूर्व आवश्यकताएँ हैं:

- कराधेय व्यक्ति के पास कर चालान या कोई अन्य निर्दिष्ट कर भुगतान दस्तावेज होना चाहिए
- कराधेय व्यक्ति ने माल या सेवाएँ प्राप्त की हैं
- कर का भुगतान वास्तव में आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया है
- कराधेय व्यक्ति ने आई0टी0सी0 का लाभ उठाने के लिए विवरणी प्रस्तुत किया है
- माल या सेवाओं के मूल्य का कर सहित भुगतान चालान निर्गत होने की तिथि से 180 दिनों के अन्दर आपूर्तिकर्ता को किया जाना चाहिए

उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली का नियम 36 आई0टी0सी0 का दावा करने के लिए दस्तावेजी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। एक करदाता निम्नलिखित आधार पर आई0टी0सी0 का लाभ उठा सकता है (अ) माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्गत चालान, (ब) कर के भुगतान के प्रमाण के साथ प्राप्तकर्ता द्वारा निर्गत चालान, (स) आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्गत डेबिट नोट, (द) सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रविष्टि बिल या समान दस्तावेज, (य) संशोधित चालान और (र) इनपुट सेवा वितरक द्वारा निर्गत दस्तावेज। वित्तीय वर्ष जिससे चालान सम्बन्धित है, के अगले सितम्बर या वार्षिक विवरणी दाखिल करने की तिथि, जो भी पहले हो, के बाद किसी भी आई0टी0सी0 का लाभ नहीं उठाया जाएगा।

अग्रेतर, उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम 2017 की धारा 13(3) के अनुसार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म⁴³ (आर0सी0एम0) के सम्बन्ध में, आर0सी0एम0 के अन्तर्गत सेवाओं की आपूर्ति का समय (अ) भुगतान की तिथि जैसा कि प्राप्तकर्ता के पुस्तकों में दर्ज किया गया है या वह तिथि जिस पर भुगतान उसके बैंक खाते से डेबिट किया जाता है या

⁴³ रिवर्स चार्ज का तात्पर्य है कि आपूर्ति की अधिसूचित श्रेणियों के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने का दायित्व ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के बजाय वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्तकर्ता पर है।

(ब) चालान निर्गत होने की तिथि से 60 दिन, में से जो भी पहले हो माना जाता है। जहाँ उपरोक्त तरीके से आपूर्ति का समय निर्धारित करना सम्भव नहीं है, आपूर्ति का समय आपूर्ति प्राप्तकर्ता के खाते की किताबों में प्रविष्टि की तिथि होगी।

लेखापरीक्षा ने 80 मामलों में से एक में अनुपालन की कमी देखी, जहाँ कराधेय व्यक्ति ने ₹ 4.12 लाख की अनियमित आईटी0सी0 का लाभ उठाया था। यह कमी मुख्य रूप से आईटी0सी0 के अधिक दावे के कारण थी।

खण्ड 9 राठको नोएडा के अन्तर्गत मेसर्स सुविधा इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXX3ZI के प्रकरण में, जीएसटीआर-9सी एवं वार्षिक वित्तीय विवरण की जाँच में यह पाया गया कि कराधेय व्यक्ति ने ₹ 34.13 लाख के अन्य विविध खर्चों के विरुद्ध ₹ 10.26 लाख के आईटी0सी0 का दावा जीएसटीआर-9सी में किया था। लेखापरीक्षा ने 18 प्रतिशत की दर से ₹ 6.14 लाख के आईटी0सी0 की गणना की, जो कराधेय व्यक्ति के लिए स्वीकार्य थी। इस प्रकार, कराधेय व्यक्ति ने ₹ 4.12 लाख के अधिक आईटी0सी0 का दावा किया था जिसे उत्क्रमित करने की आवश्यकता थी।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

(ब) आईटी0सी0 का उत्क्रमण न किया जाना/कम उत्क्रमण

अधिनियम की धारा 17(2) के साथ पठित नियमावली के नियम 42 एवं 43 में कहा गया है कि जहाँ माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आंशिक रूप से शून्य-दर आपूर्ति सहित कराधेय आपूर्ति को प्रभावी करने के लिए और आंशिक रूप से छूट प्राप्त आपूर्ति को प्रभावी करने के लिए किया जाता है, क्रेडिट की राशि इनपुट टैक्स के उतने हिस्से तक सीमित होगी जो शून्य-दर आपूर्ति सहित उक्त कराधेय आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। इनपुट या इनपुट सेवाओं के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्धारण एवं उसके उत्क्रमण का तरीका⁴⁴ उपरोक्त नियम 42 में निर्दिष्ट किया गया है।

⁴⁴ सामान्य क्रेडिट को 'सी' के रूप में दर्शाया गया है और इसकी गणना इस प्रकार की गई है—
सी = टी1-(टी1+टी2+टी3+टी4) जहाँ 'टी' ने एक कर अवधि में इनपुट और इनपुट सेवाओं पर शामिल कुल इनपुट टैक्स को वर्गीकृत किया है, वहीं 'टी1' ने 'टी' में से इनपुट टैक्स की राशि को वर्गीकृत किया है, जो विशेष रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट और इनपुट सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। व्यापार, 'टी2' ने 'टी' में से इनपुट टैक्स की राशि को वर्गीकृत किया है, जो विशेष रूप से छूट प्राप्त आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट और इनपुट सेवाओं के लिए जिम्मेदार है, 'टी3' ने 'टी' में से इनपुट टैक्स की राशि को वर्गीकृत किया है। इनपुट और इनपुट सेवाएं जिन पर धारा 17 की उप-धारा (5) के तहत क्रेडिट उपलब्ध नहीं है टी4 में, उन इनपुट और इनपुट सेवाओं के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को वर्गीकृत किया गया है जिसका उपयोग विशेष रूप से छूट के अतिरिक्त अन्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है लेकिन इसमें शून्य रेटेड आपूर्ति शामिल है। छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए देय इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को 'डी' के रूप में दर्शाया जाएगा और इसकी गणना इस प्रकार की जाएगी— डी = ($\text{ई} \div \text{एफ}$) × सी जहाँ, 'ई' कर अवधि के दौरान छूट प्राप्त आपूर्ति का कुल मूल्य है, और 'एफ' कर अवधि के दौरान पंजीकृत व्यक्ति के राज्य में कुल कारोबार है।

लेखापरीक्षा ने 80 में से नौ प्रकरणों में अनुपालन न किया जाना देखा जहाँ कराधेय व्यक्तियों ने नियम 42 एवं 43 के त्रुटिपूर्ण रूप से लागू करने के कारण ₹ 7.80 करोड़ के आई0टी0सी0 को या तो उत्क्रमित नहीं किया था या कम उत्क्रमित किया था (परिशिष्ट-XI)।

इस श्रेणी में देखी गई शीर्ष पाँच अनियमितताएँ तालिका 2.14 में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.14 : आई0टी0सी0 को उत्क्रमित न किए जाने के शीर्ष पाँच प्रकरण
(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	क्षेत्राधिकार कार्यालय	विचलन में शामिल राशि
1.	09XXXXXXXXXXXX1ZU	ज्याऽकमि० का०स० रा०क० मेरठ	5.00
2.	09XXXXXXXXXXXX1ZC	ज्याऽकमि० का०स०-II रा०क० लखनऊ	1.27
3.	09XXXXXXXXXXXX1ZF	ज्याऽकमि० का०स० रेंज-बी रा०क० नोएडा	0.91
4.	09XXXXXXXXXXXX1ZY	ज्याऽकमि० का०स० रेंज-ए रा०क० नोएडा	0.21
5.	09XXXXXXXXXXXX1Z8	खण्ड 1 रा०क० हरदोई	0.20

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दर्शाया गया है:

लेखापरीक्षा ने ज्याइंट कमिशनर (कार्पोरेट सर्किल) मेरठ के अन्तर्गत मेसर्स आनंद डेयरी लिमिटेड जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXXXX1ZU के जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, क्रेडिट एवं कैश लेजर की जाँच की और पाया कि कराधेय व्यक्ति ने अपने विवरणियों में ₹ 961.83 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर घोषित किया था, जिसमें से 73.50 प्रतिशत, राशि ₹ 706.99 करोड़ को छूट प्राप्त/निल कर दर के आपूर्ति के रूप में दर्शाया गया था। कराधेय व्यक्ति ने ₹ 12.61 करोड़ की आई0टी0सी0 प्राप्त की थी तथा छूट प्राप्त/बिना कर दर आपूर्ति के अनुपात में ₹ 4.27 करोड़ की आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किया था। लेखापरीक्षा के अनुसार छूट प्राप्त/निल कर दर आपूर्ति के अनुपात में 73.50 प्रतिशत आई0टी0सी0, राशि ₹ 9.27 करोड़ को उत्क्रमित करने की आवश्यकता थी, लेकिन मात्र 33.86 प्रतिशत आई0टी0सी0, राशि ₹ 4.27 करोड़ को कराधेय व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.00 करोड़ की आई0टी0सी0 का कम उत्क्रमण हुआ।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ०प्र०मा०से०क० अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी-10 में कर कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत कर दिया गया है।

(स) आई0टी0सी0 में भिन्नता

(i) जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-2ए के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता का होना

जीएसटीआर-2ए क्रय से सम्बन्धित एक गतिशील कर विवरणी है जो मा०से०क० पोर्टल द्वारा प्रत्येक कराधेय व्यक्ति के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है। जब कोई आपूर्तिकर्ता जीएसटीआर-1 दाखिल करता है, तो जानकारी जीएसटीआर-2ए में अंकित

हो जाती है। यह विक्रेता के जीएसटीआर-1 से कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी दिए गए माह में क्रय किए गये माल एवं सेवाओं की जानकारी को स्वचालित रूप से दर्ज कर देता है। जीएसटीआर-2ए के अनुसार आई0टी0सी0 की उपलब्धता, कराधेय व्यक्तियों द्वारा मासिक जीएसटीआर-3बी एवं वार्षिक जीएसटीआर-9 के माध्यम से समायोजनों सहित प्राप्त आई0टी0सी0 के साथ मेल खाना चाहिए।

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार, कराधेय व्यक्तियों द्वारा दाखिल किए गए विभिन्न विवरणियों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए उचित अधिकारी द्वारा जाँच की जानी चाहिए तथा विवरणियों में दिखाई देने वाली किसी भी विसंगति या असंगतता पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने 72 खण्ड कार्यालयों में 80 नमूना कराधेय व्यक्तियों के विवरणियों की जाँच की और 42 खण्डों में पाया कि 44 कराधेय व्यक्तियों ने जीएसटीआर-3बी [जीएसटीआर-9 के तालिका 4ए(5)-4बी(2)+तालिका 8(सी)] में ₹ 959.61 करोड़ की आई0टी0सी0 प्राप्त की थी, जबकि जीएसटीआर-2ए के अनुसार वे केवल ₹ 875.08 करोड़ की आई0टी0सी0 के पात्र थे। इस प्रकार ₹ 84.53 करोड़ के अधिक आई0टी0सी0 का लाभ प्राप्त किया गया, जो कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार वसूली योग्य था।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि पाँच प्रकरणों में ₹ 4.07 करोड़ की वसूली कर ली गयी है, छ: प्रकरणों में ₹ 2.91 करोड़ का कर लगाया गया, तीन प्रकरणों में ₹ 22.20 करोड़ की शास्ति लगायी गयी, 22 प्रकरणों में उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 / 73 / 74 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया गया, एक प्रकरण में कर लगाया गया लेकिन कराधेय व्यक्ति ने अपील दायर की है तथा तीन प्रकरणों में जाँच प्रक्रियाधीन है। चार प्रकरणों में विभाग ने लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले ही कार्यवाही कर ली थी (परिशिष्ट-XII)।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दर्शाया गया है:

लेखापरीक्षा ने खण्ड-20 लखनऊ में मेसर्स रित्विक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXXXX1ZU के वर्ष 2017-18 के विवरणियों जीएसटीआर-3बी एवं 2ए की जाँच की और पाया कि कराधेय व्यक्ति ने जीएसटीआर-3बी में ₹ 7.93 करोड़ के आईटीसी का दावा किया था, जबकि जीएसटीआर-2ए के अनुसार वह केवल ₹ 3.32 करोड़ की आई0टी0सी0 के पात्र थे। इस प्रकार ₹ 4.61 करोड़ के अधिक आई0टी0सी0 का दावा किया गया था, जिसे कराधेय व्यक्ति से वसूल किए जाने की आवश्यकता थी।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि 26 मई 2023 को कराधेय व्यक्ति को डीआरसी-01 निर्गत किया गया था। अनुपालन में कराधेय व्यक्ति ने ₹ 3.54 करोड़ जमा कर दिया है। आरोपित ब्याज के साथ ₹ 1.07 करोड़ की अवशेष राशि अभी जमा की जानी है।

(ii) आर0सी0एम0 के अन्तर्गत आई0टी0सी0 का अधिक लाभ प्राप्त करना

आर0सी0एम0 के अन्तर्गत कर के कम भुगतान का विश्लेषण जीएसटीआर-3बी एवं वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-9 से सम्बन्धित डेटासेट की तुलना करके यह जाँचने के

लिए किया गया था कि क्या आर०सी०एम० के अन्तर्गत गतिविधियों/लेनदेन पर कर का निर्वहन पूर्ण रूप से किया गया है। ऐसे प्रकरणों में, जहाँ जीएसटीआर-9 दाखिल किया गया था, तालिका 4जी में आर०सी०एम० भुगतान की तुलना तालिका 6सी, 6डी एवं 6एफ में प्राप्त आई०टी०सी० से की गयी थी। ऐसे प्रकरणों में, जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(डी) में किये गये आर०सी०एम० भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी के तालिका 4(ए)(2) और 4ए(3) से की गयी थी। लेखापरीक्षा ने 72 खण्ड कार्यालयों में 80 नमूना कराधेय व्यक्तियों के विवरणियों जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-9 एवं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की जाँच की और तीन खण्डों में पाया कि तीन कराधेय व्यक्तियों ने जीएसटीआर-9 / 3बी में ₹ 55.39 लाख के आई०टी०सी० का दावा किया था, जबकि जीएसटीआर-3बी में केवल ₹ 15.96 लाख के कर का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप कर के भुगतान के बिना आर०सी०एम० के अन्तर्गत ₹ 39.43 लाख की अधिक आई०टी०सी० का लाभ प्राप्त किया गया, जैसा कि तालिका 2.15 में वर्णित है।

तालिका 2.15 : आर०सी०एम० के अन्तर्गत आई०टी०सी० का अधिक लाभ प्राप्त करना

(₹ लाख में)

क्र० सं०	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आर०सी०एम० पर प्राप्त आई०टी०सी० {जीएसटीआर-9 की तालिका 6सी, 6डी एवं 6एफ में} और {3बी के प्रकरण में— 4ए(2)+4ए(3))}	जीएसटीआर-3बी में आर०सी०एम० पर भुगतान किया गया कर {तालिका 6.1 (बी)}]	आर०सी०एम० पर कर का भुगतान न किया जाना— कम भुगतान करना
1.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 23 रा०क० कानपुर	2.90	1.93	0.97
2.	09XXXXXXXXXX1ZM	खण्ड 9 रा०क० लखनऊ	37.50	13.31	24.19
3.	09XXXXXXXXXX2ZG	खण्ड 2 रा०क० रामपुर	14.99	0.72	14.27
योग			55.39	15.96	39.43

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017–18 के लिए खण्ड-9 लखनऊ के अन्तर्गत मेसर्स जेबी ट्रेडिंग, जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXX1ZM के विवरणियों जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-9 की जाँच की और पाया कि कराधेय व्यक्ति ने आर०सी०एम० के अन्तर्गत ₹ 37.50 लाख के आई०टी०सी० का दावा किया था, जबकि आर०सी०एम० (जीएसटीआर-3बी, कालम 6.1.बी) के विरुद्ध केवल ₹ 13.31 लाख के कर का भुगतान

किया गया था। इस प्रकार कराधेय व्यक्ति द्वारा कर भुगतान के बिना ₹ 24.19 लाख के अधिक आई0टी0सी0 का दावा किया गया था।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि एएसएमटी-10 में नोटिस निर्गत किया गया है।

2.6.3.4 कर दायित्व का निर्वहन

मा0से0क0 के प्रकरण में कराधेय घटना माल एवं/या सेवाओं की आपूर्ति है। उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 9, मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों की सभी अन्तर्राज्य आपूर्ति पर, अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य पर और ऐसी दरों पर जो प्रत्येक अधिनियम, यानी उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम एवं के0मा0से0क0 अधिनियम के अन्तर्गत 20 प्रतिशत से अधिक न हो, केन्द्रीय/राज्य माल एवं सेवा कर नामक कर लगाने और संग्रहण को अधिकृत करने वाली आरोपणीय धारा है। ए0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 5 माल एवं सेवाओं की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति पर अधिकतम 40 प्रतिशत की दर से ए0मा0से0क0 लगाने एवं संग्रहण का अधिकार केन्द्र सरकार को देती है।

माल एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के अन्तर्गत, ऐसे सामान या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर्राज्यीय और अन्तर्राज्य आपूर्ति पर उपकर लगाया जाता है, जो कि उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध है जैसे कि तम्बाकू उत्पाद, वातित पेय, सिगरेट, वाहन आदि। उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 9(4) एवं ए0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 5(3) और 5(4) कुछ माल या सेवाओं पर रिवर्स चार्ज लगाने का प्रावधान करती है, जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

(अ) आपूर्ति का छूट जाना

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 7 आपूर्ति को परिभाषित करती है, जिसमें व्यक्ति द्वारा व्यवसाय को बढ़ाने के क्रम में किए जाने वाले माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सभी प्रकार जैसे कि बिक्री, हस्तांतरण, वस्तु विनिमय, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिये करार पाया गया, शामिल हैं। इसमें प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात भी शामिल है चाहे वह व्यापार के बढ़ाने के क्रम में हो अथवा नहीं। यह एक समावेशी परिभाषा है, मुख्य तत्व हैं (1) आपूर्ति माल या सेवाओं की होनी चाहिए, (2) आपूर्ति प्रतिफल के लिए की गयी हो, (3) आपूर्ति व्यवसाय को आगे बढ़ाने के क्रम की गयी हो, (4) आपूर्ति कराधेय व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए, (5) आपूर्ति कर योग्य आपूर्ति होनी चाहिए, एवं (6) आपूर्ति कर योग्य क्षेत्र के भीतर की जानी चाहिए। अनुसूची-I में कुछ ऐसी गतिविधियों को निर्दिष्ट किया गया है जो बिना प्रतिफल के भी आपूर्ति के रूप में मानी जाएंगी। अनुसूची-II कुछ गतिविधियों या लेनदेन को माल की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में निर्दिष्ट करती है। उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम 2017 की धारा 8 संयुक्त एवं मिश्रित आपूर्ति से सम्बन्धित है।

खण्ड 11 रा0क0 गाजियाबाद में कराधेय व्यक्ति मेसर्स न्यूटेक शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXX1ZL के वर्ष 2017-18 के लिए

विवरणियों, लाभ और हानि खाता एवं मूल्य संवर्धित कर (वैट) अवधि के कर निर्धारण आदेश की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि कराधेय व्यक्ति ने अपने जीएसटीआर-3बी में न तो आपूर्ति का कोई टर्नओवर और न ही कोई कर देनदारी घोषित की थी। यद्यपि, वर्ष 2017-18 के लिए लाभ और हानि खाता में कराधेय व्यक्ति ने, परिचालन से राजस्व शीर्ष में ₹ 1.52 करोड़ दर्शाया था। अग्रेतर, वर्ष 2017-18 (वैट) के कर निर्धारण आदेश की जाँच करने पर यह पाया गया कि आपूर्ति का टर्नओवर ₹ 65.45 लाख निर्धारित किया गया था। इस प्रकार मा०से०क० अवधि में कराधेय व्यक्ति द्वारा आपूर्ति के अन्तरीय टर्नओवर ₹ 86.17 लाख की घोषणा नहीं की गयी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 86.17 लाख की आपूर्ति के टर्नओवर पर पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 4.31 लाख का कर नहीं लगाया गया।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

(ब) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अन्तर्गत कर भुगतान

उ०प्र०मा०से०क० अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) एवं ए०मा०से०क० अधिनियम, 2017 की धारा 5(3) के प्रावधानों के अनुसार, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल की आपूर्ति या सेवाओं या दोनों की श्रेणियां निर्दिष्ट कर सकती हैं, जिस पर कर का भुगतान ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा तथा इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे, जैसे कि वह ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है।

लेखापरीक्षा ने 80 में से दो प्रकरणों में अनुपालन कमियां देखीं जिनकी राशि ₹ 4.17 करोड़ थी जो कि कराधेय व्यक्तियों द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अन्तर्गत गलत तरीके से कर देनदारी का निर्वहन करने के कारण कर की कम वसूली हुई।

देखी गयी अनियमितताएं नीचे तालिका 2.16 में दर्शायी गयी हैं:

तालिका 2.16 : आर०सी०एम० के अन्तर्गत दो प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	जीएसटीआईएन	क्षेत्राधिकार कार्यालय	आर०सी०एम० पर आई०टी०सी० का लाभ उठाया गया {जीएसटीआर-9 की तालिका 6सी, 6डी एवं 6एफ में} तथा (3बी के प्रकरण में- 4ए(2)4ए(3))}	आर०सी०एम० पर भुगतान किया गया कर {जीएसटीआर9 की तालिका 4जी में} एवं (जीएसटीआर-3बी के प्रकरण में तालिका 3.1(डी))]	आर०सी०एम० पर कर का भुगतान न किया जाना— कम भुगतान करना
1.	09XXXXXXXXXX1ZO	ज्वा०कमि० का०स० रा०क० अयोध्या	3.77	0	3.77
2.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड 16 रा०क० कानपुर	0.40	0	0.40
योग			4.17	0	4.17

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दर्शाया गया है:

ज्वाइंट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) रा०क० अयोध्या के अन्तर्गत मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXX1ZO के वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-9 एवं इलेक्ट्रानिक कैश लेजर की जाँच में आर०सी०एम० के अन्तर्गत कर के कम भुगतान का पता चला। जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी⁴⁵ के अनुसार आर०सी०एम० के अन्तर्गत देय कर ₹ 3.77 करोड़ था जबकि इलेक्ट्रानिक कैश लेजर में वर्ष 2017-18 के लिए आर०सी०एम० के विरुद्ध कर भुगतान के लिए कोई डेबिट प्रविष्टि नहीं की गयी थी। इस प्रकार आर०सी०एम० देनदारी के विरुद्ध नकद में ₹ 3.77 करोड़ के कर का भुगतान नहीं किया गया था। खण्ड द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी थी (अक्टूबर 2022)।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ०प्र०मा०से०क० अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी-10 में कराधेय व्यक्तियों को नोटिस निर्गत कर दिया गया है।

(स) अन्य अवलोकन

लेखापरीक्षा ने कर देनदारी और शास्ति न लगाए जाने के ₹ 67.32 करोड़ की राशि के 33 विसंगतियों/भिन्नता के प्रकरण भी देखे, जो नीचे दिए गए हैं:

(i) जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-9 में स्वीकार की गयी कर देयता एवं जीएसटीआर-9 में दिखाए गए कर भुगतान में भिन्नता

अनिर्वहित कर देनदारी का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-9 के प्रासंगिक डेटा और इन विवरणियों में देय कर की तुलना जीएसटीआर-9 में भुगतान किए गए कर से की गयी थी। जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-9 के मध्य अधिक कर देनदारी को विचार में लिया गया। इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-9 में घोषित संशोधनों तथा अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया।

लेखापरीक्षा ने 72 खण्ड कार्यालयों में पंजीकृत 80 नमूना कराधेय व्यक्तियों के विवरणियों की जाँच की और 21 खण्डों⁴⁶ में पाया कि 23 पंजीकृत व्यक्तियों पर जीएसटीआर-1 अथवा जीएसटीआर-9 (जो भी अधिक हो) के अनुसार कुल ₹ 1,806.95 करोड़ की कर देयता थी, जबकि जीएसटीआर-9 के (तालिका 9+तालिका 14-तालिका 4जी) के अनुसार वास्तविक कर भुगतान ₹ 1,746.16 करोड़ का ही किया गया था। इस प्रकार कराधेय व्यक्तियों ने उच्च मूल्य विचलन प्रदर्शित किया, जिससे ₹ 60.79 करोड़ के कर का संभावित कम भुगतान हुआ जो कि उ०प्र०मा०से०क० अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार वसूली योग्य था।

⁴⁵ वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 की सारणी 4जी ने सम्पूर्ण वर्ष के लिए आर०सी०एम० के अन्तर्गत कर भुगतान को दर्शाया है।

⁴⁶ खण्ड 4 रा०क० बस्ती, खण्ड 3 चंदौली, खण्ड 6, 10 और 17 रा०क० गाजियाबाद, खण्ड 16 एवं 23 रा०क० कानपुर, ज्वा०कमि० कार्प००स०-I रा०क० लखनऊ, ज्वा०कमि० कार्प००स०-II रा०क० लखनऊ, खण्ड 9, 12 एवं 22 रा०क० लखनऊ, कोसीकला० रा०क० मथुरा, खण्ड 11 रा०क० मेरठ, ज्वा०कमि० कार्प००स० रेंज-ए रा०क० नोएडा, ज्वा०कमि० कार्प००स०-रेंज-बी रा०क० नोएडा, सेक्टर 5, 9 एवं 14 रा०क० नोएडा, खण्ड-1 रायबरेली, खण्ड 1 रा०क० उन्नाव।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि दो प्रकरणों में ₹ 22.16 लाख की वसूली कर ली गयी है, एक प्रकरण में डीआरसी-07 के माध्यम से ₹ 13.96 लाख का कर लगाया गया है, एक प्रकरण में ₹ 8.45 करोड़ का कर लगाया गया लेकिन कराधेय व्यक्ति ने अपील दायर की है, तीन प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी तथा 14 प्रकरणों में उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61/73/74 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया गया। एक प्रकरण में, विभाग ने लेखापरीक्षा शुरू होने से पूर्व ही कार्यवाही कर ली है एवं एक प्रकरण में, उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया (परिशिष्ट-XIII)।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

मेसर्स भारतीय भाइयों की दुकान, जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXX1Z9, खण्ड 4 रा0क0 बस्ती के वर्ष 2017-18 के विवरणियों जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-9 की जाँच के दौरान यह पाया गया कि कराधेय व्यक्ति पर जीएसटीआर-1 के अनुसार ₹ 21.47 लाख की कर देनदारी थी तथा जीएसटीआर-9 के अनुसार कर देनदारी ₹ 37.96 लाख थी, जबकि इसने जीएसटीआर-9 के अनुसार ₹ 21.47 लाख के कर का भुगतान किया। इस प्रकार जीएसटीआर-9 के अनुसार ₹ 16.48 लाख की कर देनदारी का भुगतान नहीं किया गया था।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुपालन में कराधेय व्यक्ति द्वारा डीआरसी-03 दिनांक 03 नवम्बर 2022 एवं 01 मई 2023 के माध्यम से ₹ 17.16 लाख का कर जमा किया गया है।

(ii) जीएसटीआर-1 में कर देनदारी और जीएसटीआर-3बी में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता का होना

अनिर्वहित कर देनदारी का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-3बी के प्रासंगिक डेटा और इन विवरणियों में देय कर की तुलना जीएसटीआर-3बी में घोषित कर भुगतान के साथ की गयी थी। इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर-1 एवं 3बी में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया।

लेखापरीक्षा ने 72 खण्ड कार्यालयों में पंजीकृत नमूना के 80 कराधेय व्यक्तियों के विवरणियों की जाँच की और नौ खण्डों⁴⁷ में पाया कि नौ कराधेय व्यक्तियों पर जीएसटीआर-1 के अनुसार कुल ₹ 17.45 करोड़ की कर देयता थी, जबकि जीएसटीआर-3 बी के अनुसार भुगतान किया गया वास्तविक कर ₹ 10.99 करोड़ था। इस प्रकार कराधेय व्यक्तियों ने उच्च मूल्य विचलन प्रदर्शित किया, जिससे ₹ 6.46 करोड़ के कर का संभावित कम भुगतान हुआ जो कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 (परिशिष्ट-XIV) के प्रावधानों के अनुसार वसूली योग्य था।

⁴⁷ खण्ड 1 रा0क0 बलिया, खण्ड 3 रा0क0 गौतम बुद्ध नगर, खण्ड 4 रा0क0 गाजियाबाद, खण्ड 2 रा0क0 हरदोई, खण्ड 2 रा0क0 लखनऊ, खण्ड 6 रा0क0 लखनऊ, खण्ड 16 रा0क0 लखनऊ, खण्ड 2 रा0क0 मुजफ्फरनगर एवं खण्ड 1 रा0क0 सिद्धार्थनगर।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि दो प्रकरणों में ₹ 7.30 लाख की वसूली कर ली गयी है, एक प्रकरण में डीआरसी-07 के माध्यम से ₹ 18.65 लाख का कर लगाया गया, धारा 122(1)(ii)⁴⁸ के अन्तर्गत दो प्रकरणों में ₹ 5.93 करोड़ का शास्ति लगाया गया, चार प्रकरणों में उ0प्र0मा0स0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 73/74 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया गया।

(iii) स्वीकृत कर जमा न करने पर शास्ति न लगाया जाना

उ0प्र0मा0स0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 73 के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ उचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि करापवंचन के लिए, धोखाधड़ी या किसी जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न, किसी अन्य कारण से, किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या त्रुटिवश वापस कर दिया गया है, या जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है या उपयोग किया गया है, वह कर से प्रभार्य ऐसे व्यक्ति को नोटिस देगा, जिसका भुगतान नहीं किया गया है या जिसका कम भुगतान किया गया है या जिसे त्रुटिवश प्रतिदाय कर दिया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया है या उपयोग किया गया है, यह कारण बताने की आवश्यकता के साथ कि उसे धारा 50 के अन्तर्गत देय ब्याज के साथ नोटिस में निर्दिष्ट राशि और इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत लगाये जाने वाले शास्ति का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए।

उचित अधिकारी, कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, कर की राशि, ब्याज और कर के दस प्रतिशत या दस हजार रुपये के बराबर शास्ति, जो भी अधिक हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा देय हो, निर्धारित करेगा और एक आदेश निर्गत करेगा।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक के महीनों के लिए मैसर्स गोर्ड स्पेशलिटीज लिमिटेड, कोसीकलां जीएसटीआईएन-09XXXXXXXXXXXX1ZD के जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1, कैश लेजर एवं क्रेडिट लेजर की जाँच किया और पाया कि कराधेय व्यक्ति ने जीएसटीआर-1 में ₹ 65.99 लाख की कर देनदारी स्वीकार की, जिसमें से ₹ 75,990.00 का भुगतान नवम्बर 2017 के महीने में आई0टी0सी0 के माध्यम से किया गया था। शेष कर ₹ 65.23 लाख⁴⁹ का भुगतान न तो नकद में किया

⁴⁸ धारा 122—कुछ अपराधों के लिए शास्ति—(1) जहाँ कोई कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बिना कोई चालान या बिल जारी करता है, तो वह दस हजार रुपये की शास्ति या कर चोरी के बराबर राशि या धारा 51 के अन्तर्गत न काटे गये कर या कम काटे गये कर या काटा गया लेकिन सरकार को भुगतान नहीं किया गया या धारा 52 के अन्तर्गत कर एकत्र नहीं किया गया या कम एकत्र या एकत्र किया गया लेकिन सरकार को भुगतान नहीं किया गया या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया या अग्रेषित किया गया या अनियमित रूप से वितरित किया गया, या धोखाधड़ी से रिफण्ड का दावा किया गया, जो भी अधिक हो का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

⁴⁹ ₹ 65.23 लाख की कर देनदारी की भिन्नता पर टिप्पणी को “जीएसटीआर-1/जीएसटीआर 9 में कर देनदारी और जीएसटीआर 9 में दर्शाये गये कर भुगतान में भिन्नता” शीर्षक के अन्तर्गत जोड़ा गया है।

गया था और न ही आई0टी0सी0 के माध्यम से समायोजित किया गया था। इस प्रकार, अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार लगाया जाने वाला ₹ 6.52 लाख के शास्ति को नहीं लगाया गया।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी-10 में कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया गया है।

संस्तुति 5: विभाग इस प्रतिवेदन में लाए गए सभी अनुपालन विचलनों के लिए समय सीमा समाप्त होने से पहले सुधारात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है।

2.7 जनशक्ति की अपर्याप्तता

विभाग के कुशल कामकाज के लिए, इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित जनशक्ति योजना और उसकी उचित तैनाती आवश्यक है।

वर्ष 2017–18 से 2020–21 के दौरान निर्णायक प्राधिकारी (डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर अधिकारी) एवं अन्य सहायक कर्मचारियों (प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, लेजर कीपर, कनिष्ठ सहायक आदि) के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग की स्वीकृत और कार्यशील शक्ति तालिका: 2.17 में दिया गया है।

तालिका 2.17 : जनशक्ति की अपर्याप्तता

वर्ष	पदों का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की प्रतिशतता
2017–18	निर्णायक प्राधिकारी	3,108	2,464	644	20.72%
	सहायक कर्मचारी	13,906	7,697	6,209	44.64%
2018–19	निर्णायक प्राधिकारी	3,108	2,466	642	20.66%
	सहायक कर्मचारी	13,904	6,745	7,159	51.48%
2019–20	निर्णायक प्राधिकारी	3,108	2,519	589	18.95%
	सहायक कर्मचारी	13,903	6,785	7,118	51.19%
2020–21	निर्णायक प्राधिकारी	3,108	2,464	644	20.72%
	सहायक कर्मचारी	13,903	6,442	7,461	53.66%

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 2017–18 से 2020–21 के दौरान, निर्णायक प्राधिकारी के सम्बन्ध में रिक्त पद 18.95 से 20.72 प्रतिशत के मध्य थे। अग्रेतर, सहायक कर्मचारियों के सम्बन्ध में रिक्त पद 44.64 से 53.66 प्रतिशत के मध्य थे। पर्याप्त जनशक्ति के अभाव ने विभाग की कार्यकुशलता को प्रभावित किया है जो विवरणियों की जाँच की धीमी गति, पंजीकरण रद्द करने के प्रकरणों में कार्यवाही की कमी आदि से स्पष्ट है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निर्णय लेने वाले अधिकारियों को 1 जुलाई 2017 से BOWEB एक्सेस दिया गया था, जबकि सहायक कर्मचारियों को अक्टूबर 2022 से एक्सेस की अनुमति दी गई थी। इससे यह स्पष्ट है कि कर्मचारी जुलाई 2017 से सितम्बर 2022 के दौरान मा0से0क0 कार्य के सम्बन्धित पक्ष में शामिल नहीं थे।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि रिवितयों को भरने का मुद्दा समय—समय पर शासन के समक्ष उठाया जाता है।

2.8 आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रारम्भ नहीं की गयी

किसी संगठन का आन्तरिक लेखापरीक्षा, आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह संगठन को खुद को आश्वस्त करने में सक्षम बनाता है कि निर्धारित प्रणालियाँ यथोचित रूप से अच्छी तरह से काम कर रही हैं।

नियोजित इकाइयों⁵⁰ की संख्या, आच्छादित की गयी इकाइयों की संख्या, नियोजित वाह्य लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या और आन्तरिक लेखापरीक्षा से सम्बन्धित शून्य रिपोर्ट की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि ‘माडल आल इण्डिया जीएसटी लेखापरीक्षा मैनुअल 2023’ मार्च 2023 में लाया गया है और अब मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा शुरू कर दिया गया है।

2.9 निष्कर्ष

मार्च 2020 भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी पर अनुपालन लेखापरीक्षा (लेखापरीक्षा), विवरणी दाखिल करने की अलग—अलग प्रवृत्ति और विवरणी दाखिल करने तथा कर भुगतान की निगरानी में प्रणाली की पर्याप्तता का आंकलन करने के उद्देश्य से निर्गत डेटा विसंगतियों के अनुपालन की सीमा तथा अन्य विभागीय निरीक्षण कार्य के सन्दर्भ में की गयी थी।

यह लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण पर आधारित था, जिसने 2017–18 के लिए दाखिल मार्च 2020 विवरणियों में जोखिम क्षेत्रों, रेड फ्लैग और कृष्ण प्रकरणों में नियम—आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों को उजागर किया था। लेखापरीक्षा में दो स्तरों पर राज्य क्षेत्राधिकार गठन के निरीक्षण कार्यों का आंकलन करना शामिल था, वैशिक डेटा प्रश्नों के माध्यम से डेटा स्तर पर और कार्यात्मक स्तर पर खण्डों/जोनों तथा मार्च 2020 विवरणियों दोनों का गहन विस्तृत लेखापरीक्षा, जिसमें करदाताओं के अभिलेखों का परीक्षण शामिल था। इसलिए लेखापरीक्षा नमूने में 20 जोन, वैशिक प्रश्नों के माध्यम से चुने गए 15 मापदण्डों के 462 उच्च मूल्य विसंगतियां तथा वर्ष 2017–18 के लिए मार्च 2020 विवरणियों के विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन पर चयनित किये गए 80 करदाता शामिल थे।

10 खण्डों की समीक्षा से पता चला कि खण्डों द्वारा विवरणियां दाखिल करने की निगरानी, विवरणियों की जाँच, लेखापरीक्षा, करदाता अनुपालन और पंजीकरण रद्द करने जैसे आवश्यक निरीक्षण कार्यों का अनुपालन अपर्याप्त था।

सीमित लेखापरीक्षा में जोखिम मापदण्डों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गयी जैसे कि वार्षिक विवरणियों एवं लेखा पुस्तकों के मध्य प्राप्त आई0टी0सी0 की भिन्नता, जीएसटीआर—9सी की तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता, लेखा पुस्तकों एवं

⁵⁰ कर निर्धारण खण्ड, डिप्टी कमिश्नर प्रशासन, सचल दस्ता इकाई आदि।

विवरणियों के मध्य भुगतान किए गए कर में भिन्नता तथा ब्याज का कम/भुगतान न किया जाना आदि।

मा०से०क० विवरणियों के विस्तृत लेखापरीक्षा में भी महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन का सुझाव दिया गया। कुछ आवश्यक अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, निदेशक रिपोर्ट आदि नौ प्रकरणों में प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप दायरा सीमित हो गया। पायी गई मुख्य कमियों में अनियमित आई०टी०सी० का लाभ लेना, कर जमा न करने पर शास्ति न लगाना, ब्याज न लेना और आर०सी०एम० के अन्तर्गत कर का गलत निर्वहन शामिल था।

इस अध्याय में बताई गई अनुपालन कमियों को ध्यान में रखते हुए, विभाग को विवरणियों के दाखिल करने, करदाता अनुपालन, कर भुगतान, पंजीकरण रद्द करने एवं बकाएदारों से बकाया की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और बनाए रखने के लिए खण्डों में संस्थागत तन्त्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

2.10 संस्तुतियों का सारांश

संस्तुतियां इस प्रकार हैं:

1. विभाग विवरणियों की जाँच की कार्यवाही निर्धारित समयसीमा के अन्दर पूर्ण कर सकता है।
2. चूँकि मा०से०क० स्व-मूल्यांकन कर व्यवस्था है और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा मुख्य उपकरणों में से एक है, विभाग को शेष लेखापरीक्षा करने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि बकायादारों के खिलाफ समय पर कार्यवाही शुरू की जा सके और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए वसूली की जा सके। विभाग लेखापरीक्षा में बताए गए बकायों की समय पर वसूली भी सुनिश्चित कर सकता है।
3. विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को जानकारी बनाए रखने और निरीक्षण कार्यों पर समय पर कार्यवाही करने और इसे लेखापरीक्षा के साथ साझा करने का निर्देश दे सकता है।
4. विभाग डेटा प्रविष्टि त्रुटियों पर अंकुश लगाने, करदाता अनुपालन बढ़ाने और बेहतर जाँच की सुविधा के लिए मा०से०क० विवरणी में सत्यापन नियन्त्रण शुरू करने पर विचार कर सकता है।
5. विभाग इस प्रतिवेदन में लाए गए सभी अनुपालन विचलनों के लिए समय सीमा समाप्त होने से पहले सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।